Sheridan College
SOURCE: Sheridan Institutional Repository

Books | Domestic Violence in Immigrant Communities

12-30-2021

Domestic Violence in Immigrant Communities: Case Studies (Hindi)

Ferzana Chaze
Sheridan College, ferzana.chaze@sheridancollege.ca

Bethany Osborne
Sheridan College, bethany.osborne@sheridancollege.ca

Archana Medhekar
Archana Medhekar Professional Corporation

Purnima George
Ryerson University

Follow this and additional works at: https://source.sheridancollege.ca/dvic_book

Part of the Domestic and Intimate Partner Violence Commons, Law Commons, Social Work Commons, and the Women's Studies Commons

Let us know how access to this document benefits you

SOURCE Citation
Chaze, Ferzana; Osborne, Bethany; Medhekar, Archana; and George, Purnima, "Domestic Violence in Immigrant Communities: Case Studies (Hindi)" (2021). *Books*. 3.
https://source.sheridancollege.ca/dvic_book/3

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License.
This Book is brought to you for free and open access by the Domestic Violence in Immigrant Communities at SOURCE: Sheridan Institutional Repository. It has been accepted for inclusion in Books by an authorized administrator of SOURCE: Sheridan Institutional Repository. For more information, please contact source@sheridancollege.ca.

अप्रवासी समुदायों में घरेलू हिंसा: केस स्टडी (अध्ययन)

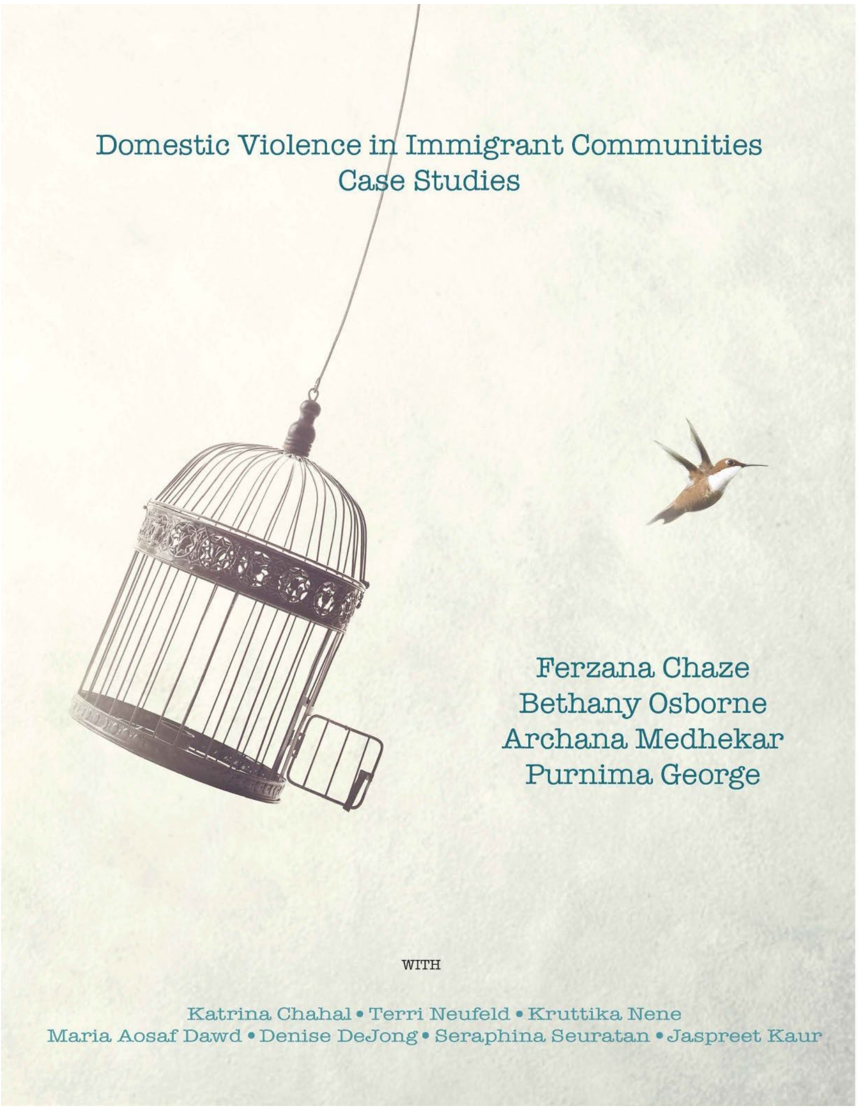

स्वीकृतियाँ

हम इस पुस्तिका को हिंदी में अनुवाद करने के लिए सोशल सर्विस वर्कर (सामाजिक सेवा कार्यकर्ता) प्रोग्रैम, शेरिडन कॉलेज से निम्नलिखित छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हैं ताकि यह हिंदी भाषी समुदायों के लिए उपलब्ध हो।

किरन मूलचंदानी

रावलीन कौर कलेर

उर्वशी सोलंकी

समानता के लिए अनुवादों की समीक्षा करने के लिए डॉ.अमित अरुण मेढेकर, असोसिएट प्रोफेसर (सह-प्राध्यापक), सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय,पुणे, भारत और शेरिडन कॉलेज के छात्र आशुतोष गौर का धन्यवाद।

हम शेरिडन कॉलेज की छात्रा दिप्ती टिळक को भी धन्यवाद देते है।

अप्रवासी समुदायों में घरेलू हिंसा: केस स्टडी (अध्ययन)

परिचय

इस दस्तावेज़ में पुस्तक, "अप्रवासी समुदायों में घरेलू हिंसा: केस अध्ययन" के कुछ अंश हैं, डॉ फ़रज़ाना चेज़, डॉ बेथानी ओसबोर्न, सुश्री अर्चना मेढेकर और डॉ पूर्णिमा द्वारा अनुवाद किया गया है ताकि एक व्यापक दर्शक उन तक पहुँच बना सके। पुस्तक सामाजिक कार्य और कानूनी चिकित्सकों के साथ प्रशिक्षण में उपयोग करने के लिए एक स्वतंत्र रूप से सुलभ शैक्षिक संसाधन है।

इस दस्तावेज़ में अनुवादित केस स्टडी अप्रवासी महिलाओं की वास्तविक जीवन की कहानियाँ हैं जिन्होंने कनाडा में घरेलू हिंसा का अनुभव किया है। अर्चना मेधेकर लॉ ऑफिस द्वारा नियंत्रित बंद कानूनी मामलों की फाइलों से उभरे मामले और जातीय अप्रवासी महिलाओं की कहानियों को दर्शाते हैं जिन्होंने कनाडा में घरेलू हिंसा का अनुभव किया और जिन्होंने कानूनी मदद मांगी। इस शोध को करने की अनुमति जून 2019 में रयर्सन यूनिवर्सिटी और शेरिडन कॉलेज दोनों के रिसर्च एथिक्स बोर्ड से मिली थी। इस शोध में शामिल सभी मामले पिछले दस वर्षों के भीतर हुए और अनुसंधान शुरू होने से पहले कम से कम एक वर्ष से बंद थे। केस स्टडी के अलावा, हमने घरेलू हिंसा के विषय पर सामुदायिक समूहों के साथ चर्चा के लिए प्रश्नों को शामिल किया है। हम आशा करते हैं कि आप घरेलू हिंसा के मुद्दों पर अपने समुदायों को शामिल करते हुए इस उपकरण को उपयोगी पाएंगे।

केस स्टडी (अध्ययन) नंबर 1: रमनदीप और अमन

प्रालेख	महिला	पुरुष
नाम	रमनदीप	अमन
शादी के समय उम्र	22	24
उम्र *	39	41
मूल / देश/रहवासी	भारत	भारत
धर्म	सिख	सिख
शिक्षा	सूचना उपलब्ध नहीं	सूचना उपलब्ध नहीं
अंग्रेजी भाषा की क्षमता	सीमित	सीमित
रोज़गार, प्रवास से पहले	कभी काम नहीं किया	सूचना उपलब्ध नहीं
रोज़गार *	पार्ट टाइम (अंशकालिक) स्कूल	अक्टूबर 1993 से फुल टाइम

अप्रवासी समुदायों में घरेलू हिंसा: केस स्टडी (अध्ययन)

	बस चालक	(पूर्णकालिक) काम
आव्रजन श्रेणी	शादी से पहले रमनदीप अपने परिवार के साथ कनाडा आ गयी थी	फ़ैमिली क्लास्स: रमनदीप ने स्पोउसल स्पोन्सोर्शिप प्रोगाम् के तहत अमन को स्पान्सर किया
आव्रजन स्थिति	सिटिज़न (कनाडाई नागरिक)	सूचना उपलब्ध नहीं
शादी के वर्षों की संख्या *: 17 बच्चे *: बेटी: गुनीत (14 वर्ष; व्यवहार संबंधी चुनौतियां है) बेटा: नवदीप (11 साल; एडीएचडी और एक सीखने की विकलांगता)		

* फैमली कोर्ट (परिवार न्यायालय) के आवेदन के समय

प्रवास अथवा देशान्तरण से पहले का इतिहास

रमनदीप और अमन की शादी भारत में हुई थी, उस समय रमनदीप की उम्र बाईस वर्ष की थी और अमन की उम्र चौबीस वर्ष की थी। शादी के बाद दोनों पति - पत्नी ने कनाडा में रहने की योजना बनाई। रमनदीप ने अमन को कनाडा की जीवनसाथी-प्रायोजन कार्यक्रम की सरकारी योजना के तहत बुलाया। शादी के छह महीने बाद अमन कनाडा पहुंचा। उनके देशान्तरण से पहले की जानकारी बहुत कम मौजूद है, बस इतना ही पता है की उनकी शादी उनके परिवारों ने तय की थी।

कनाडा में उनके जीवन की शुरुआत

जब अमन पहली बार कनाडा पहुंचे, तो वे रमनदीप के पिता के साथ रहते थे, ताकि वे अपने पहले घर के लिए बचत कर सकें।

अमन जब पहली बार कनाडा पहुंचा तब से ही रमनदीप को यह स्पष्ट हो गया कि अमन के साथ जीवन आसान नहीं होगा। पहले ही सप्ताह से अमन ने बहुत अधिक शराब पीनी शुरू कर दी थी और रमनदीप और

अपने पड़ोसियों को परेशान करना शुरू कर दिया था, वह उन्हें बार-बार शराब खरीदने के लिए उसे ले जाने की ज़िद करता था। अमन को आने के एक महीने की भीतर ही काम मिल गया था। शादी के कुछ समय बाद तक रमनदीप ने घर से बाहर काम किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद रमनदीप एक दुर्घटना के कारण काम करने में अयोग्य हो गयी। अमन ने शादी के बहुत जल्द समय में ही रमनदीप पर परिवार बढ़ने का दबाव डालना शुरू कर दिया और जब वह जल्दी गर्भवती होने में असमर्थ रही तो वह उससे अनेको अपशब्द कह कर प्रताड़ित करने लगा। अमन का रमनदीप को अपशब्द कह कर प्रताड़ित करना व अंधाधुंध शराब पीना उनके विवाहित जीवन के समय के अंत तक चला।

शादी के चार साल बाद उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ (बेटी), और अमन का रमनदीप को अपशब्द कहने का बुरा बर्ताव और मानसिक प्रतारणा का सफर अब शारीरिक प्रतारणा की ओर चल पड़ा था।अमन हमेशा ही रमनदीप पर नशे में हाथ उठाता और नशे में ज़बरदस्ती रमनदीप के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता। रमनदीप ने यह बात किसी को नहीं बताई यह सोच कर की वह अपनी शादी को इस बुरे वक्त से बचा लेगी। फिर रमनदीप के पिता की आर्थिक सहायता के बाद दोनों पति-पत्नी ने एक आम घर खरीदा। रमनदीप अपने बच्चे के साथ अलग घर के निचले भाग में रहने लगी अपने घर एवं बच्चे को सँभालने का काम करने लगे। अमन हर दिन उससे शारीरिक संबंध स्थापित करने की ज़िद्द करता और अगर रमनदीप ना मानती तो उस पर हाथ उठाता। जब उनकी बेटी चार साल की थी तो रमनदीप दोबारा गर्भवती हुई , अमन ने अथक प्रयास किये उस बच्चे को गिराने के पर रमनदीप ने ऐसा होने न दिया। उसका बेटा सेहत में बहुत कमज़ोर पैदा हुआ था। रमनदीप ने हफ्ते के आखिरी दिनों का काम करना शुरू किया अपना परिवार पालने के लिए। पर परिवार की संपत्ति बराबर नहीं बट रही थी। मिसाल के तौर पर , रमनदीप अपने बच्चों के ऊपरी खर्चे जैसे की उनके बेटे की दवाओं का खर्चा खुद उठा रही थी, अमन भारत में अपनी ज़मीन के रख-रखाव के लिए अपने भाइयों को पैसे भेजता था।

घरेलु हिंसा

रमनदीप एवं अमन के विवाहित जीवन के दौरान, रमनदीप के लिए मुँह-ज़ुबानी से लेके शारीरिक व यौन शोषण तक परेशानियां बढ़ती ही रही। रमनदीप को सहारा देने वाला कोई नहीं था और वह ज़्यादातर वक्त

और ऊर्जा अपने बच्चों को पालने में लगाती। जब पहली बार पुलिस को बुलाया गया तब तक उनकी शादी को चौदह साल हो चुके थे , यह बात साल 2006 के फरवरी महीने की है। अमन शराब के नशे में धुत था, उसमें रमनदीप से गाड़ी की चाबियां मांगी और जब रमनदीप ने मना किया तो उसने रमनदीप के बाल पकड़कर उसे ज़मीन की और धक्का दिया और उसके पेट पर कई लाते मारी। बच्चो ने भी अमन का यह अभद्र व्यवहार देखा। रमनदीप किसी तरह से अपने बच्चो को लेके वह से निकली और उसने 911 (पुलिस) को फ़ोन किया। पुलिस जब घर पर पहुंची तो उन्होंने अपनी कार्यवाही में अमन को हिंसा का दोषी पाते हुए घर से निकाल दिया। बाद में अमन को घरेलू हिंसा का दोषी पाते हुए एक साल तक रमनदीप से कोई भी संपर्क ना करने का आदेश दिया गया। पुलिस ने इस घटना की जानकारी चिल्ड्रन ऐड सोसाइटी (बाल कल्याण समाज) को भी दी। रमनदीप अपने बच्चो के साथ अपने ससुराल में ही रही। और एक साल के अंतर व समर्थन-खर्च देने के बाद अमन ने रमनदीप से माफ़ी मांग कर घर में तो वापसी कर ली पर रमनदीप के कमरे के दरवाज़े उसके लिए अभी भी बंद थे। वापस लौटने के कुछ समय बाद ही अमन ने रमनदीप से कहा की वह उनके 6 साल के बेटे को उसके दादा-दादी के पास भारत भेजना चाहता है। रमनदीप ने एक असंतुष्ट सहमति दी और अपने बेटे को 2 साल के लिए भारत उसके दादा-दादी के पास रहने के लिए भेज दिया। पर अमन का रमनदीप के ऊपर मौखिक और शारीरिक शोषण अभी भी ख़त्म नहीं हुआ , वह रोज़ उसके साथ योन संबंध की मांग करता। उनका बेटा 2 साल बाद मई 2009 में कनाडा लौटा आया। अब दोनों बच्चो ने अपने घर में बहुत हिंसक हादसे देख लिए थे और डर के कारण अपने पिता दे डर के छुपते थे। मई 2009 में पुलिस को एक और कॉल किया गया पर इस बार अमन पर कोई धारा नहीं लगाई गयी पर बाल कल्याण समाज को सूचित अवश्य किया गया।

इस घटना के बाद साल 2009 के दिसंबर महीने में पुलिस को फिर बुलाया गया, अब उनतालीस वर्ष की रमनदीप पर अमन द्वारा बंद मुठ्ठी से बार-बार चेहरे पर वर वार किया गया जिसके कारण उसके चेहरे पर नील पड़ गया था, उसका अपराध की उसने समय से रात का खाना नहीं बनाया। जब यह वारदात हुई तो बच्चे घर पर ही थे, और अपनी माँ के कहने पर उन्होंने 911 (पुलिस) को कॉल किया। अमन को घर से निकाला गया और हिंसा के आरोप के तहत उसपर कार्यवाही हुई। आपराधिक न्यायालय की और से उससे निर्देश दिया गया की वह अब दिसंबर 2010 से एक साल तक रमनदीप को मिलने या किसी भी तरह से संपर्क करने की कोशिश न करे। अमन ने न्यायालय की भी नहीं सुनी और अप्रैल 2011 से रमनदीप को कॉल करने लगा, वह नशे की हालत में रमनदीप को कॉल करके उससे गंदे व अभद्र शब्द कहकर उसका शोषण करता।

इन सब के बाद रमनदीप ने एक वकील से मदद की गुहार लगाई, उससे अपनी जान पर ख़तरा लगने लगा इसलिए उसने पारिवारिक मामलों के न्यायालय से अमन के खिलाफ रेस्ट्राइनिंग आर्डर (निषेधाज्ञा) भी ली। उसने अपने बच्चो के लिए नॉन रिमूवल आर्डर अथवा गैर कानूनी तौर से हटाने के खिलाफ भी आदेश लिया ताकि अमन उसके उन्हें कनाडा से लेकर कही भाग ना सके। रमनदीप ने अपने बच्चो की न्यायिक हिरासत लेने के लिए भी अदालत में प्रार्थना पत्र लगाया क्योंकि हमेशा से उनकी देख-भाल वही करती आ रही है। पर उसने अपने बच्चो को उनके पिता से ना सिर्फ मिलने की सहमती दी यहाँ तक की उन्हें इस बात के लिए बढ़ावा भी दिया, शर्त यह की अमन उनके आगे शराब धूम्रपान या किसी और नशे का सेवन न करें। रमनदीप ने न्यायालय से अमन से अलग होने के समय से पारिवारिक समर्थन खर्च की मांग की जो की अमन की सारी व्यक्तिगत संपत्ति पे फ़ेडरल चाइल्ड सपोर्ट गाइडलाइन्स (राष्ट्रीय बाल समर्थन निर्देशों) के अनुसार आधारित था । पर न्यायालय की पूरी कार्यवाही के दौरान अमन अपनी संपत्ति को छुपता रहा (जैसे की ज़मीन, काम से निवृत्ति के बाद के लिए बचाया हुआ धन, बम इत्यादि)। रमनदीप की आर्थिक स्थिति इस कारण कुछ सही नहीं रही, उससे घर के और अपने बच्चो के खर्चे उठाने के लिए क़र्ज़ लेना पड़ा। बच्चो के बीच छोटे-मोटे झगडे होते रहते थे , बस एक बार इन झगड़ो के कारण रमनदीप के बेटे को बल कल्याण समाज ने उससे ले लिया था , पर कुछ समय बाद उससे लौटा दिया गया।

समाधान

तीन साल की लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद रमनदीप को अपने बच्चो की अकेली न्यायिक हिरासत अथवा ज़िम्मेदारी मिली। अमन को उनके गुज़ारे के लिए बाल समर्थन राशि अदा करने का हुक्म दिया गया। उनका घर बेच के उसका धन दोनों में बराबर बता गया और अमन ने अपना बकाया बाल समर्थन मूल्य उसमे से चुकाया। रमनदीप ने एक सीमा के अंदर अमन को अपने बच्चो से मिलने की इजाज़त दी यह सोचके कि पिता और बच्चो का संबंध ज़रूरी होता है। पर अमन ने अपने बचो को अनदेखा कर दिया है और उनसे नहीं मिलता है। इसका कारण उसने अपने बेटे का बुरे बर्ताव बताया है, उसका बेटा अपने पिता से ठुकराये जाने के बाद टूट गया है और उस गम से उभरने के लिए उससे डॉक्टर द्वारा सलाहकार सेवा दी जा रही है।

केस स्टडी (अध्ययन) नंबर 2: ज़किया और वसीम

प्रालेख	**महिला**	**पुरुष**
नाम	ज़किया	वसीम
शादी के समय उम्र	18	19
उम्र *	23	24
मूल देश/ रहवासी	अफ़ग़ानिस्तान	अफ़ग़ानिस्तान, उससे पहले वसीम को भारत में शरणागथी मिली हुई थी
धर्म	मुस्लिम	मुस्लिम
शिक्षा	11वी कक्षा/जमात तक अफ़ग़ानिस्तान में, उसके बाद भारत में कुछ और कोर्स करे	12वी कक्षा/जमात भारत से पूरी की
अंग्रेज़ी भाषा की क्षमता	सीमित	सीमित
रोज़गार, प्रवास से पहले	कोई सूचना नहीं	कोई सूचना नही
रोज़गार *	बिक्री कर्मचारी	बिक्री कर्मचारी
आव्रजन श्रेणी	पारंपरिक शरणार्थी श्रेणी - समुदाय प्रायोजित कार्यक्रम (2016)	पारंपरिक शरणार्थी श्रेणी - समुदाय प्रायोजित कार्यक्रम (2016)

अप्रवासी समुदायों में घरेलू हिंसा: केस स्टडी (अध्ययन)

आव्रजन स्थिति	स्थायी निवासी	स्थायी निवासी
शादी के वर्षों की संख्या : 5 बच्चे : एक बेटी: आबिदा (एक साल की)		

* पारिवारिक न्यायालय की अर्ज़ी के वक्त

प्रवास अथवा देशान्तरण से पहले का इतिहास

ज़ाकिया और वसीम की शादी जनवरी 2012 में भारत में हुई थी, उस समय ज़ाकिया 18 वर्ष की थी। दोनों वसीम के माता-पिता के साथ भारत में शरणागत के ओहदे से रेह-रहे थे। उनके पास यु.एन.एच. आर.सी (सयुंक्त राष्ट्र) का नीला कार्ड था। हालांकि दोनों परिवार मुस्लिम थे , पर वसीम ने भारत में ही अपना धर्म बदल कर ईसाई धर्म अपना लिया था। शादी के पहले वसीम ने इस्लाम दोबारा क़ुबूल कर लिया था। यह दोनों की पहली शादी पर ज़ाकिया के लिए यह प्रेम विवाह था। भारत में दोनों वसीम और ज़ाकिया बोहोत ही कम आमदनी का काम कर रहे थे। शादी के अगले ही दिन ज़ाकिया की सास , जो पेशे से एक वकील थी उन्होंने ने ज़ाकिया से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की कोशिश की , जिसके मुताबिक तलाक की परिस्थिति में ज़ाकिया को कोई रकम नहीं मिलेगी। शादी के एक हफ्ते बाद ही वसीम ने ज़ाकिया के साथ धोखा किया और दूसरी औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाये, और यह व्यव्हार उनकी शादी-शुदा ज़िंदगी में चलता रहा। शादी के चार साल बाद वसीम ने ज़ाकिया को बताया की उसने फिर से इस्लाम छोड़कर ईसाई धर्म क़ुबूल कर लिया है। वसीम हमेशा ही उससे मानसिक रूप से परेशान करता , ज़ाकिया और उसके घरवालो के बारे में , इस्लाम के बारे में भला-बुरा कहता। ज़ाकिया के ससुर उसकी धार्मिक चीज़े घर के बहार फेक देते और उन्हें "बकवास" कहते। ज़ाकिया के लिए परेशानिया इतनी बढ़ गयी थी की एक बार वसीम ने उसपर हाथ उठाया , उससे गर्दन से पकड़कर उसके मुँह पर मुक्का मारा, जिसके कारण ज़ाकिया के मुँह पर इतनी सूजन हो गयी थी की वह एक हफ्ते तक ढंग से खाना नहीं खा पायी। ज़ाकिया के साथ अक्सर ऐसी शारीरिक हिंसा होती रहती। एक बार ज़ाकिया ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाही तो उन्होंने ज़ाकिया को यह बोलकर रिझा लिया की उससे उसके भारत में शरणागथ पद पर दिक्कत आयेगी , इसलिए ज़ाकिया ने रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। ज़ाकिया जो भी कमा के लाती उससे वह वसीम के परिवार को सौपना पड़ता ताकि घर का किराया

और राशन आ सके। कुछ समय उनकी बात मानने के बाद उसने ज़िद की, कि कुछ पैसे वह भी रखना चाहती है इस बात पर वसीम के घर वाले उसपर बहुत नाराज़ हुए। ज़ाकिया ने 3 बार गर्भ धारण किया पर तीनो बार उससे अपना बच्चा गिरना पड़ा क्योंकि वसीम के घर वालो का कहना था की परिवार में बच्चा आने से खर्च बढ़ जायेंगे। इसके कारण ज़ाकिया को तीनो बार दर्द और पीड़ा सेहेन करनी पड़ी।
शादी से पहले वसीम और उसके परिवार ने ज़ाकिया से वादा किया था की वह स्कूल दोबारा जाके अपनी पढाई पूरी कर पायेगी , पर शादी के बाद वह उसे रोकके यह कहते कि उससे खर्चा बढ़ेगा और ज़ाकिया पूरा दिन पराये पुरुष के बीच रहेगी जो की अच्छा नहीं है। पर किसी तरह ज़ाकिया ने स्कूल में दाखिला लिया और उससे अपनी दसवीं कक्षा दोबारा करनी पड़ी क्योंकि अफ़ग़ानिस्तान से की हुई उसकी 11वी कक्षा का परिणाम भारत में मान्य नहीं था। अंत में वह अपनी 12वी कक्षा भी पूरी नहीं कर पायी क्योंकि वह वसीम और उसके परिवार के साथ कनाडा चली गयी।

कनाडा में उनके जीवन की शुरुआत

ज़किया, वसीम और उनका पूरा परिवार 26 अक्टूबर, 2016 को स्थायी निवासियों के रूप में कनाडा में उतरे। वे विदेश में कन्वेंशन रिफ्यूजी वर्ग में निजी तौर पर प्रायोजित शरणार्थियों के रूप में कनाडा चले गए। जकिया और वसीम, वसीम के माता-पिता और उसके दो भाइयों के साथ रहते थे। दंपति को एक ही कंपनी में काम मिला और वसीम ने अपने कई सहकर्मियों के साथ जकिया को अक्सर धोखा दिया। वसीम और उसके परिवार ने जकिया से पैसे लेना जारी रखा, और उसके कपड़े, भोजन और दोस्तों सहित उसके दिन-प्रतिदिन के जीवन को काबू रखा । नवंबर 2016 में जकिया को पता चला कि वह गर्भवती है। परिवार ने उस पर दोबारा गर्भपात कराने का दबाव बनाया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे अपने लिए गर्भवती महिलाओ के विशेष कपड़े खुद ही खरीदने पड़ते थे, साथ ही अन्य खर्च भी करने पड़ते थे।

घरेलु हिंसा

समय-समय पर ज़ाकिया के साथ कोई न कोई ज्यादती होती रही , जैसे की उसे उसके धर्म का पालन करने पर रोक लगाई जाती , उसपर हाथ उठाया जाता या उसपर मानसिक अथवा आर्थिक अत्याचार किया जाता। उसके और वसीम के परिवार के अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं का होना तकरार का सबसे बड़ा कारण था। यदि वह सब बहार जाते तो ज़ाकिया को सारा खर्चा करना पड़ता। उसे भारत में अपने परिवार को पैसे भेजने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। उसे ना ही अपने दोस्त बनाने की छूट थी। वो कहा जाती , क्या खाती , क्या

पहनती इन सब पर वसीम का परिवार कड़ी नज़र रखता। उसे अपनी पढाई जारी रखने की इजाज़त भी नहीं दी गयी। एक बार , जब ज़ाकिया चार माह पेट से थी तब ज़ाकिया ने वसीम से कहा की घर में राशन की कमी है तो वह दोनों सामान लेने गए पर वसीम ज़ाकिया को छोड़कर आ गया और ज़ाकिया को कड़कती ठंड में जब पारा शुन्य से भी 27 अंक निचे था तब पैदल चलकर घर आना पड़ा। जब वह रात को 10:30 बजे घर पहुंची तब उसने देखा की वसीम और उसके परिवार वालो ने खाना खा लिया था और उसके लिए एक दाना भी नहीं छोड़ा। उसने सबको सलाम किया और रासीओ की ओर को चलदी- अपना खाना पकाने। इतने में ही वसीम के घर वालो ने उसपर चिल्लाना शुरू कर दिया की उसने सब बड़ो को नज़र-अंदाज़ किया है। ज़ाकिया न उन्हें समझाने की कोशिश की , कि उसने ऐसा नहीं किया और उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और उसे कुछ खाना है। इतना सुनकर उसके ससुर ने , ज़ाकिया और उसके परिवार और उसके धर्म के बारे में भला-बुरा बोलना शुरू कर दिया और उसे " नीच मुसलमान " कहकर बुलाया। ज़ाकिया ने ससुर ने उससे कहा की वह उनके घर में रह रही है अपने घर में नहीं और वह वहा से चली जाये।

ज़ाकिया ने अपने ससुर की बात को गंभीरता से लिया क्यूंकि वह हिंसक बर्ताव वसीम के परिवार में कई समय से देख रही थी। कुछ ही हफ्ते पहले , उसने वसीम के चचेरे भाई को अपनी बहन के साथ मार-पीट करते देखा जिसके कारण उसे हस्पताल लेके जाना पड़ा था। ज़ाकिया ने अपने और अपने अजन्मे बच्चे की भलाई को ध्यान रखते वह से चले जाना ही बेहतर समझा। उसने आधी रात को अपना सामान बाँधा और निकल पड़ी। बाहर कड़कती हुई ठंड थी पर मन में द्दढ़ निश्च्य था। उसके पास केवल बीस डालर और एक क्रेडिट कार्ड था। उसने फ़ोन से टैक्सी बुलाई और रात हॉलिडे इन् नाम के एक होटल में बिताई। अगले दिन जब वह अपने काम पे गयी तो उसे अपने पति का फ़ोन पर संदेश आया की उसने उसे पत्नी मानना बंद कर दिया है और तीन-तलाक (तीन बार तलाक बोलना) के माध्यम से उससे इस्लाम के अनुसार तलाक दिया। वह दोनों उसी दिन से अलग हो गए थे और वसीम ने उससे कहा था की वह उसे कानूनी तलाक के कागज़ भी भेज देगा। ज़ाकिया के सहकर्मियों ने उससे 911 (पुलिस) को फ़ोन करने की सलाह दी , जो की उसने किया। पुलिस ने सूचना प्रार्प्त करते ही ज़ाकिया को एक जन-आश्रय में पहुँचाया। ज़ाकिया ने जल्द ही अपने साथ हुए सारे बुरे बर्ताव की खबर सार्वजनिक स्वास्थ कर्मचारी (पब्लिक हेल्थ नर्स) को दी , और उन्होंने उसके मामले को बाल कल्याण समाज (चिल्ड्रन ऐड सोसाइटी) को सौंप दिया ताकि उसके अजन्मे बच्चे के साथ कोई दुर्घटना न हो।

ज़ाकिया और वसीम का एक ही जगह पे काम करने के कारण एक दुसरे से आमना-सामना होता रहा पर उन्होंने कोई बात नहीं की। ज़ाकिया को स्वास्थ कर्मचारी की सलाह के कारण काम जल्दी छोड़ना पड़ा ताकि उसके स्वास्थ में सुधार आये। वसीम ने कभी भी न उसकी और ना अपने बच्चे की सेहत के बारे में पूछा। ज़ाकिया ने सर्जरी के माध्यम से एक लड़की को जन्म दिया जिससे वसीम बस उससे एक बार अपने कुछ दोस्तों के साथ देखने आया था।

समाधान

ज़ाकिया को अपनी बच्ची की पूरी कानूनी हिरासत मिली और वह अब एक सरकारी आवास में रहती है। वसीम अपनी बच्ची से मिल तो सकता है , पर उससे लेके और छोड़के आना दोनों द्वारे तह किये गए किसी और व्यक्ति से होता है। वसीम हर महीने अपनी बच्चे के भरण-पालन के लिए पैसे भेजता है। मगर फरवरी 2019 से वह उससे मिला नहीं। ज़ाकिया ने स्कूल में दोबारा दाखिला लेकर अपनी पढाई दोबारा शुरू की है।

केस स्टडी (अध्ययन) नंबर 3: मिरेम्बा और जेम्स

प्रालेख	**महिला**	**पुरुष**
नाम	मिरेम्बा	जेम्स
शादी के समय उम्र	25	37
उम्र *	32	44
मूल देश/ रहवासी	युगांडा	युगांडा, कनाडा में रहते थे और काम करते थे
धर्म	ईसाई	ईसाई
शिक्षा	उच्च विद्यालय	आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (सप्लाई चैन मैनज्मेंट) में डिप्लोमा
अंग्रेज़ी भाषा की क्षमता	प्रवीण	प्रवीण
रोज़गार, प्रवास से पहले	विद्यार्थी	कोई सूचना नही
रोज़गार *	बेरोज़गार	एक बड़ी किराना श्रृंखला (कम्पनी) में पर्यवेक्षक (सूपर-वाइज़र) की नौकरी
आव्रजन श्रेणी	पारिवारिक प्रवयोजन योजना : जेम्स ने 2006 में स्पाउसल प्रायोजन कार्यक्रम के तहत मिरेम्बा को कनाडा में बुलाया	कोई सूचना नहीं

अप्रवासी समुदायों में घरेलू हिंसा: केस स्टडी (अध्ययन)

	किया	
आव्रजन स्थिति	स्थायी निवासी	स्थायी निवासी
शादी के वर्षों की संख्या : 6 बच्चे : एक बेटी : डेंबे (6 वर्ष) बेटा : नोआह (3 वर्ष)		

* पारिवारिक न्यायालय की आवेदन के समय

प्रवास अथवा देशान्तरण से पहले का इतिहास

मिरेम्बा युगांडा में रह रही थी और पढ़ाई कर रही थी जब वह जेम्स से एक रिश्तेदार के ज़रिये मिली। जेम्स उस समय कनाडा गया हुआ था। जेम्स और मिरेम्बा की शादी 10 जून 2005 को हुई थी। यह दोनों की पहली शादी थी। शादी के बाद मिरेम्बा को पता चला की जेम्स को अपने पुराने रिश्ते से एक बच्चा भी है। जेम्स के पास एक अच्छी कमाऊ नौकरी थी और एक बड़ी किराना शृंखला (कम्पनी) में पर्यवेक्षक (सूपर-वाइज़र) के स्तर पे नियुक्त था और उसने मिरेम्बा को कनाडा में प्रायोजित किया था। मेरिम्बा मार्च 2006 में कनाडा आयी, अपनी शादी के 9 महीने बाद। वह जेम्स के साथ उसके 3 कमरों के मकान में उसके साथ रहने लगी।

कनाडा में उनके जीवन की शुरुआत

कनाडा पहुंचते ही मरिम्बा का जीवन जेम्स की जीवनशैली से प्रभावित होने लगा , उसका रोज़ शराब पीना और जशनो में जाना। वह अपने दोस्तों के साथ क्लब (डिस्को) जाता और सुबह देर से वापिस आता। मेरिम्बा आने के कुछ महीनो बाद गर्भवती हो गयी और एक साल के अंदर उनकी बेटी का जन्म भी हो गया था। जब मेरिम्बा ने जेम्स से गर्भवती स्त्रियों के कपडे खरीदने के लिए जेम्स से पैसे मांगे तोह उसने मना कर दिया और मेरिम्बा को अपने पुराने कपडे ज़िप और बटन खोल कर पहनने पड़े अपनी पूरे प्रसव के दौरान।

घरेलु हिंसा

उनके 6 साल की शादी में उनके आपसी रिश्ते अच्छे नहीं थे। अपनी बेटी के जनम के बाद भी जेम्स अपने दोस्तों को बुलाता बिना हिसाब शराब पीता और पार्टी करता। एक बार उसके इस बर्ताव से परेशान होकर उसके पड़ोसियों ने पुलिस को उसकी शिकायत की , की उनके घर से ज़ोर-ज़ोर से गाने बजने की और लड़ाई की आवाज़े आ रही है। पुलिस जेम्स के दोस्तों को कभी नहीं पकड़ पाती थी क्यूँकि वह उनके आने से पहले ही निकल जाते थे। सप्ताह-अंत पे मेरिम्बा को साड़ी सफाई खुद अकेले करनी पड़ती। कभी - कभी लोग उनके घर पे बहुत अधिक समय तक रहा करते , जिनमे से कुछ उनके किरायदार थे।

जब मिरेम्बा ने अंशकालीन (पार्ट-टाइम) नौकरी थ्रिफ़्ट स्टोर में शुरू की और वह चाहती थी की जेम्स उनकी बेटी का ध्यान रखे , पर जेम्स उस काम में अक्सर बेपरवाह रहता । वह या तो उसे अपने रिश्तेदारों के घर छोड़ देता या अपने किरायेदार के साथ छोड़ कर चला जाता। एक बार , जब उनकी बेटी 1 वर्ष की थी तब मिरेम्बा ने घर आके देखा की उसकी बेटी के हाथ-पाँव सूजे हुए है। वह उससे हस्पताल लेके गयी जहा उससे एक सप्ताह रखा गया। जेम्स ने कोई मद्द करने से इंकार कर दिया यह कहकर की यह मिरेम्बा की ज़िम्मेदारी है। अपनी बेटी की इस अवस्था के दौरान जेम्स ने काम कोई छुट्टी नहीं ली , मिरेम्बा को 2 सप्ताह का अवकाश लेकर अपनी बेटी का ध्यान रखना पड़ा। उसे जेम्स के रिश्तेदार से थोड़ी मद्द तोह मिली पर जब उनका दूसरा बच्चा होने से पहले उन्होंने इस बारे में विस्तार से विचार किया की जेम्स को अपना व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। जिसपर जेम्स ने सहमति जताते हुए उससे यह आशवासन दिलाया। जब मिरेम्बा दोबारा गर्भवती हुई तो जेम्स बहुत प्रसन था। कुछ दिनों बाद वह एक स्त्री को उनके घर पर ले आया रहने के लिए और मिरेम्बा को ने उन्हें साथ में शराब पिते देखा। मिरेम्बा ने जेम्स के रिश्तेदार को फ़ोन करके उससे इस बारे में बात करने के लिए उन्हें कहा।

कनाडा आने के तीन साल बाद, मिरेम्बा अपने समाज की एक स्त्री के अंतिम-संस्कार में गयी थी जिसके पहले पति ने उसका क़त्ल कर दिया था। जब वह घर वापिस आयी तो उसने देखा की जेम्स दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा है और टी.वी पर चिल्ला रहा है। जेम्स के एक दोस्त ने मिरेबा के साथ दुर्व्यवहार किया और कहा की मिरेम्बा को भी उस स्त्री की तरह सबक सीखना चाहिए। मिरेम्बा ने डरकर जेम्स ने बीच बचाव करने को कहा तो जेम्स के उस मित्र ने कहा की मिरेम्बा उससे पसंद नहीं करती और वह रोज़ आया करेगा। जेम्स

के बहुत सारे मित्र मुजरिम थे और कई पुलिस द्वारा ढूंढे भी जा रहे थे , मिरेम्बा को अपनी सुरक्षा की परवाह होने लगी। इसी समय जेम्स ने भी गैर-विवाहित संबंध प्रारंभ किया एक स्त्री के साथ। एक बार वह उस स्त्री को उनके सामाजिक कार्यक्रम में ले आया जिसके कारण मिरेम्बा को बहुत लज्जित होना पड़ा।

जब मिरेम्बा का पुत्र दिसंबर 2009 पैदा हुआ तो जेम्स ने कोई छुट्टी नहीं ली मिरेबा की सहायता करने के लिए। वह अपनी पार्टी और शराब में व्यस्थ रहा। और जब भी वह सहयता करता तो बहुत लापरवाही से काम करता , जैसे की एक बार वह बच्चो को पार्क लेकर गया और वह शराब पीने लगा और बच्चो का पालना गुम करके आ गया।

2011 में मिरेम्बा को अंशकालीन (पार्ट-टाइम) व्यक्तिगत सहायता कर्मचारी की नौकरी मिली। जेम्स ने अपनी रात के नौकरी को दिन के समय में बदलने के सुझाव दिया। पर मिरेम्बा के काम शुरू करने के एक सप्ताह बाद ही जेम्स दोबारा रात्रि के समय काम करने लग गया। वह अपने बच्चो को अपने रिश्तेदारों के घर छोड़ देता और मिरेम्बा उन्हें रात को 11:30 बजे उन्हें वहा से लेकर आती। इस कारण मिरेम्बा की बेटी नींद पूरी नहीं हो पाती और स्कूल में उससे ध्यान नहीं लगाया जाता।

2011 में जेम्स को अपनी प्रेमिका पर एक पार्टी में हाथ उठाने के लिए गिरफ्तार किया गया। इस बार जेम्स ने मिरेम्बा को कहा कहा की वह अलग होना चाहता है। मिरेम्बा ने पूछा की क्या वह इस समस्या के लिए किसी का परामर्श स्वीकार करेगा (काउंसलिंग) पर उसने इससे भी इंकार कर दिया। जेम्स ने उससे पेपर पर हस्ताक्षर करवाने के लिए बहुत दबाव डाला , तब मिरेम्बा को कही से ख़बर मिली को जेम्स उनके घर के लिए नया कर्ज़ा ले रहा है। अपने समाज के चर्च के पुजारी और उनकी पत्नी के सामने दोनों औपचारिक तरीके से अलग हुए। मिरेम्बा और उसके बच्चो को रहने के लिए सरकारी आश्रय में जाना पड़ा। उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा क्यूंकि जेम्स वह घर बेच कर यूगांडा वापिस जाना चाहता था। हालांकि , मिरेम्बा ने जेम्स को आश्रय में जाने से पहले बताया था पर फिर भी उससे पुलिस से फ़ोन आया यह पूछने के लिए की वह कहा है क्यूंकि जेम्स ने उससे और अपने बच्चो को गुमशुदा घोषित कर दिया था।

समाधान

जेम्स और मिरेबा के बीच एक लम्बे न्यायिक लड़ाई 6 वर्ष तक चली , जेम्स यह नहीं चाहता था की वह अपने बच्चो और मिरेम्बा को कोई खर्चा दे। अंतिम प्रस्ताव में बच्चो की पूरी ज़िम्मेदारी मिरेम्बा को मिली और जेम्स को उनसे मिलने का अधिकार था। हालांकि , मिरेम्बा ने जेम्स के लिए निरोधक आदेश लिया हुआ था (सिवाय तब , जब वह बच्चो को लेने आये) | जेम्स की पेंशन को बाट दिया गया। उनके घर को बेचकर मिरेम्बा को उसके अधिकार का हिस्सा दिया गया। मिरेम्बा अब एक सस्ते घर में रहती है और व्यक्तिगत सहायता कर्मचारी की नौकरी करती है , कनाडा में घर लेना उसका सपना है।

केस स्टडी (अध्ययन) नंबर 4 सोनाली और रवि

प्रालेख	महिला	पुरुष
नाम	सोनाली	रवि
शादी के समय उम्र	27	29
उम्र *	31	33
मूल देश/ रहवासी	भारत	भारत
धर्म	हिन्दू	हिन्दू
शिक्षा	एम.ए और एम.बी.ए डिग्री भारत से	कोई सूचना नहीं
अंग्रेज़ी भाषा की क्षमता	प्रवीण	प्रवीण
रोज़गार, प्रवास से पहले	प्रशिक्षु मानव संसाधन कार्यकारी के रूप में (इंटर्न)	मोटर फ्रेट कंपनी के एकमात्र निदेशक और शेयरधारक
रोज़गार *	अंशकालीन (पार्ट-टाइम) कर्मचारी दवाई की दूकान में	मोटर फ्रेट कंपनी के एकमात्र निदेशक और शेयरधारक
आव्रजन श्रेणी	पारंपरिक शरणार्थी श्रेणी - समुदाय प्रायोजित कार्यक्रम (2016)	कोई सूचना नहीं
आव्रजन स्थिति	पारिवारिक श्रेणी। रवि ने सोनाली	नागरिक

	को स्पोउसल स्पोन्सोर्शिप प्रोगाम् के तहत 2 वर्ष के सशर्त स्थायी नागरिकता दिलाई (2015)	
शादी के वर्षों की संख्या*: 4 बच्चे*: नहीं		

* पारिवारिक न्यायालय की आवेदन के समय

प्रवास अथवा देशान्तरण से पहले का इतिहास

सोनाली 27 वर्ष की थी और रवि 29 वर्ष का था जब उनकी शादी हुई। शादी के समय सोनाली भारत में रहती थी। रवि जो की एक कैनेडियन नागरिक था, ओंटारियो प्रदेश के बड़े शहर में रहता था और बड़ी गाडी बनाने की कंपनी में काम करता था। काम से साथ-साथ रवि एक मोटर फ्रेट कंपनी व्यापार का मालिक था। उनकी शादी पारिवारिक रजामंदी से अक्टूबर 2013 में हुई थी और यह दोनों की पहली शादी थी।
सोनाली शादी के २ साल बाद भी भारत में रहती रही क्यूंकि रवि उसकी स्पॉउसल स्पॉन्सरशिप की आवेदना में देरी करता रहा जिससे ही वह कनाडा आ सकती थी। सोनाली अक्टूबर 2015 में कनाडा आयी एक स्थायी नागरिक के रूप में।

कनाडा में उनके जीवन की शुरुआत

कनाडा आने के बाद सोनाली और उसके माता-पिता और उसकी दो बहनो के साथ रहने लगी। उस घर के सह-मालिक रवि के पिता और उसकी बहने भी थी। इस दौरान, रवि के परिवार का बर्ताव सोनाली के प्रति मौखिक रूप से अनुकूल नहीं था। उसके ऊपर से सोनाली की सास, रवि और सोनाली को व्यक्तिगत समय और अंतर प्रदान नहीं करती थी। उदहारण: वह बहुत बार उनके कमरे में आकर उनके बीच सोने की ज़िद्द करती अथवा एक बार जब सोनाली और रवि एक साथ स्नान कर रहे थे तोह वह बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाये बिना ही अंदर घुस आयी।

अप्रवासी समुदायों में घरेलू हिंसा: केस स्टडी (अध्ययन)

घरेलु हिंसा

सोनाली को अपने पति और अपने ससुराल-वालो दोनों के ही हाथो प्रताड़ना प्राप्त होती थी। सोनाली की सास उसे मौखिक और शारीरिक दोनों ही रूप से प्रताड़ित करती। एक बार जब सोनाली अपनी माँ के साथ फ़ोन पे (जो भारत में थी) बात कर रही थी तब उसकी सास उनकी बाते दुसरे फ़ोन से सुन रही थी। जब सोनाली ने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने गुस्से में आकर सोनाली को थप्पड़ मारा। वह रोने लगी और रवि को फ़ोन किया उसके कार्यालय में और रवि आकार उसे अपने साथ अपने कार्यालय ले गया।

उसके बाद सोनाली रवि के साथ उसके कार्यालय जाने लगी ताकि वह अपनी सास से दूर रह सके। एक समय के बाद उसकी सास और उसकी बहेनो ने सोनाली से बात करना बंद कर दिया।
एक सर्द सुबह की बात है , सोनाली रवि के साथ उसकी गाडी में थी , रवि ने उसके साथ बहस करना शुरू कर दिया और ज़ोर-ज़ोर से गाडी के चक्के को मारने लगा और उसपे चिल्लाने लगा। उसने सोनाली से बहार उतरने को कहा और उसे बीच सड़क पर छोड़कर चला गया। सोनाली ने आते हुए कुछ लोगो से मद्द मांगी और उन्होंने उसे पुलिस स्टेशन छोड़ दिया। पुलिस सोनाली को उसके घर वापस ले गयी अपनी तहक़ीक़ात करने के लिए। वह पुलिस अफसरों ने सोनाली की सास से बात की जिसने कहा की उससे सोनाली से कोई परेशानी नहीं है। पर फिर भी पुलिस अफसरों ने सोनाली को एक विकल्प दिया की वह उससे सरकारी जन आवास पर छोड़ सकते है। सोनाली अपने पति से अलग नहीं होना चाहती थी इसलिए उसने रवि के कार्यालय जाना सही समझा।अंततः वह रवि के साथ घर गयी।

सोनाली उसकी सास के बीच तनाव और झगडे बढ़ते ही गए। एक बार सोनाली घर से कुछ पल के लिए बहार निकली तोह उसकी सास ने उससे बाहर बंद कर दिया। सोनाली और रवि ने उस दुर्घटना के बाद अपने माता-पिता का घर छोड़ दिया। रवि के कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद वह 3 रातो के लिए उसके कार्यालय में ही रहे। उनके पास नए कपडे नहीं थी और वह पास के एक मंदिर से भोजन किया करते। रवि के उच्च अधिकारी उन्हें अपने घर ले गए ताकि वह उनके घर की सुविधा का प्रयोग कर सके और उन्हें सलाह दी की उन्हें वह दोबारा अपना जीवन शुरू करे।

कुछ ही दिनों बाद, मार्च 2016 में सोनाली और रवि अपने एक मकान में रहने चले गए जो रवि ने किराये पर दे रखा था ताकि वह एक और कमाई का साधन बन सके।

सोनाली ने दवाई की दूकान में अंशकालीन (पार्ट-टाइम) नौकरी करना शुरू किया क्यूंकि रवि से उसे थोड़े से भी पैसे नहीं मिलते थे। रवि उससे घर का सारा सामान खरीदवाता जैसे के बिस्तर, गद्दा, टी.वी आदि। सोनाली कनाडा बहुत ही नियमित पैसो के साथ आयी थी और जब वह खर्च हो गए तो उसकी माँ उससे भारत से कुछ पैसे कभी-कभी भेज दिया करती। सोनाली को घर के राशन और अपने फ़ोन के बिल का भुगतान भी खुद ही करना पड़ता।

सोनाली को रवि के हाथो मौखिक, शारीरिक, यौन और वित्तीय प्रताड़ना मिलती रही। रवि का स्वभाव अविश्वसनीय हो रहा था , वह कभी भी बिना किसी साफ़ कारण के सोनाली पर भड़क जाता। वह बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लगा और अजीब बर्ताव करने लगा। जैसे की , वह सोनाली को शहर में घूमने गाडी में लेके जाता और उससे अनजान जगह पे उतार कर चला जाता और फिर पुलिस में उसकी गुमशुदा होने ककी रिपोर्ट लिखवाता। कई बार बार सोनाली के साथ शारीरिक हिंसा भी हुई। 2016 की वसंत ऋतू के दौरान रवि के उसपर हाथ उठाने के कारण सोनाली के हाथ पर नील पड़ गया था , सोनाली अपने पारिवारिक चिकित्सक के पास उसका इलाज करवाने गयी तोह उसने यह बात उन्हें बताई और उन्होंने सोनाली को इसकी शिकायत पुलिस में करने को कहा। पर सोनाली ने यह कहते हुए इंकार कर दिया की वह अपनी शादी को बचाना चाहती ही। कुछ समय बाद रवि ने फिर सोनाली पर हाथ उठाया और इस बार सोनाली के हाथ में गहरे घाव के कारण उसमे से खून बहने लगा। वह सोनाली के साथ हस्पताल के आपातकाल कक्ष में गया और उसने सोनाली को यह कहने पे मजबूर किया की वह कहे की उसे यह चोट बर्तन धोते हुए आयी है। उस चोट के लिए उससे टाँके भी लगे।

रवि का बर्ताव बहुत ही अनियमित और अस्थिर होता जा रहा था। वह कभी सोनाली को अपमान-जनक बाते कहता और कभी उससे क्षमा मांग लेता। एक बार जब वह दोनों माल गए थे तो, वह सोनाली को छोड़कर पास के एक पुलिस अफसरों को जाकर कहने लगा की सोनाली की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है , वह आत्मघाती हो गयी है , उसके हाथो पर चोट भी उसने खुद मारी है। सोनाली ने अफ़सरो से बात करके उन्हें

साड़ी स्थिति समझायी, जिसपर अफसरों ने उससे पूछा की क्या वह रवि को गिरफ्तार करके उसपे धाराये लगाए ? जिसका जवाब सोनाली ने दिया " नहीं "। अफसरों ने सोनाली को उनके मकान पर छोड़ दिया और रवि कुछ दिन अपनी बहनो के साथ रहने चला गया और फिर लौटकर आया ।

जनवरी 2017 में सोनाली दोनों भारत गए एक शादी समारोह में हिस्सा लेने और अपने परिवार से मिलने। शादी में रवि ने शराब के नशे में धुत्त होकर सोनाली की उसके घर वालो के सामने बेइज़्ज़ती की। जब वह पास के एक देश में घूमने गए थे तोह रवि ने गुस्से में आकर सोनाली से अपना पासपोर्ट माँगा और उससे वापस कनाडा उसके घर लौटने से मन कर दिया और वह जहा वो ठहर रहे थे वह वापिस चला गया और ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। सोनाली उसके इस अनियमित और अस्थिर व्यवहार से बहुत डरने लगी थी।

कनाडा वापिस आने के बाद रवि को उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और उसने फिर सोनाली पे हाथ उठाया पर इस बार सोनाली ने 911 (पुलिस) को फ़ोन किया। रवि के ऊपर तीन आपराधिक धाराये लगायी गयी। उसे बेल पर मुक्त पर उससे सोनाली से किसी भी तरीका का संपर्क स्थापित करने की मनाही थी। पर सोनाली की सास उससे बात करके उन्हे दोबारा साथ लाने की कोशिश करती रही। रवि आपराधिक न्यायाल में मई 2018 को पेश हुआ और उसने अपने ऊपर लगे सारे अपराधो का के आरोप क़ुबूल कर लिए। सोनाली को अपने जीवन की परवाह थी इसलिए उसने न्यायालय से रवि के खिलाफ निरोधक आदेश लिया। अपने ऊपर हुई प्रताड़नाओं के कारण सोनाली को चिंता और तनाव होने लगा और ध्यान लगाने में भी परेशानिया होने लगी। उसे नए लोगो के साथ घुलने-मिलने में और नए रिश्ते बनाने में अविश्वास जैसी परेशानिया होने लगी। उससे सर दर्द की भी शिकायत रहने लगी जिसके कारण उसके दिनभर की कार्यशैली प्रभावित होने लगी।

बिछड़ते समय रवि ने अपनी पूरी आर्थिक स्थिति सोनाली को नहीं बताई। उसने उससे यह नहीं बताया था की वह स्व-नियोजित है अर्थात खुद का काम करता है क्यूंकि वह अपनी सम्पत्ति के उस हिस्से को तलाक के बटवारे में नहीं खोना चाहता था। शादी से पहले , उसके सर्र पर बहुत क़र्ज़ थे जिन्हे वह चुका नहीं पा रहा था।

उसके पास एक उपभोक्ता प्रस्ताव था जनवरी 2013 में जिससे वह अपने विवाह के पूरे समय चुका रहा था। सोनाली को उससे बिछड़ते समय उसके बारे में पता चला।

समाधान

जिस मकान में वह रह रहे थे उससे बेच कर क़र्ज़ और बकाया कर चुकाया गया। सोनाली को एकमुश्त निपटान राशि दी गयी। सोनाली अब सुरक्षित है और संतोषजनक वित्तीय निपटान राशि और निरोधक आदेश की प्राप्तकर्ता है। रवि और सोनाली का अंततः तलाक हो गया। वह अब दो-दो नौकरिया कर अपना गुज़ारा कर रही है। अपने परिवार की सहायता से उसने अपना खुद का मकान भी खरीद लिया है।

केस स्टडी (अध्ययन) नंबर 5: गगनदीप और कुलदीप

प्रालेख	**महिला**	**पुरुष**
नाम	गगनदीप	कुलदीप
शादी के समय उम्र	25	35
उम्र *	27	37
मूल देश/ रहवासी	भारत	भारत
धर्म	सिख	सिख
शिक्षा	उच्च विद्यालय	उच्च विद्यालय
अंग्रेज़ी भाषा की क्षमता	सीमित	सीमित
रोज़गार, प्रवास से पहले	कोई सूचना नहीं	इटली की निर्माण कंपनी में कर्मचारी
रोज़गार *	अंशकालीन (पार्ट-टाइम) कर्मचारी खाना बनाने के स्थान पे	निर्माण कार्य में कर्मचारी
आव्रजन श्रेणी	गगांदीप 2005 में अपने परिवार के साथ कनाडा आयी	गगनदीप ने 2009 में स्पोसल स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत कुलदीप को बुलाया
आव्रजन स्थिति	नागरिक	स्थायी नागरिक
शादी के वर्षों की संख्या*: 2		

बच्चे*: बेटा: रवि: (11 महीने का; कई स्वास्थ्य समस्याओं के साथ पैदा हुआ और एक शिशु के रूप में उसकी बड़ी सर्जरी हुई थी दवा और देखभाल की आवश्यकता चल रही है।)

* पारिवारिक न्यायालय की आवेदन के समय

प्रवास अथवा देशान्तरण से पहले का इतिहास

गगनदीप अपने परिवार के साथ 2005 कनाडा आयी और 2008 में उसकी शादी कुलदीप से हुई। यह परिवारिक रजामंदी से हुआ विवाह था। गगनदीप और कुलदीप के माता-पिता एक अखबार में शादी के रिश्ते का इश्तेहार देखकर मिले थे और अगले ही महीने दोनों की सिख रीती-रिवाज़ो के अनुसार शादी कर दी गयी। शादी से पहले कुलदीप इटली एक निर्माण कार्य की कंपनी में काम करता था और उसकी माँ और बेहेन कनाडा में रहती थी।

कनाडा में उनके जीवन की शुरुआत

शादी के बाद कुलदीप परिदर्शक वीज़ा पे आया। गगनदीप उसके और उसके परिवार के साथ रहने लगी। गगनदीप ने कुलदीप की स्पोसल स्पॉन्सरशिप आवेदन को प्रयोजित किया और आने के 1 साल बाद ही उससे स्थायी नागरिकता मिल गयी। शादी के पहले कुछ महीने बिना किसी घटना के बीत गये। गगनदीप एक रेस्टोरेंट में और कुलदीप निर्माण कार्य में पूरा टाइम काम करते। पर गगनदीप जल्द ही गर्भवती हो गयी और जनवरी 2009 में उनको बेटा हुआ।

घरेलु हिंसा

शादी के एक साल से कम अवधि में गगनदीप के बच्चा होने से कुछ तनाव आया और कुलदीप को स्थायी नागरिकता मिलने से उनका रिश्ता खराब होता चला गया। गगनदीप की प्रसव शल्य-चिकित्सा (सर्जरी) के तुरंत बाद ही कुलदीप ने गगनदीप के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की और गगनदीप से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। जिसके कारण उसे चिकित्सा देखभाल में जाना पड़ा।

अप्रैल 2009 में कुलदीप को अपनी स्थायी नागरिकता की खबर मिलते ही उसने गगनदीप और बच्चे को मौखिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दोनों का सयुंक्त बैंक खाता था था जिसमे से वह पैसे निकालने लगा और उसने अपना नया खाता खुलवाया। कुलदीप गगनदीप के ऊपर उसकी माँ के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा कर उसपर हाथ उठाता और उससे और बच्चे को घर से निकलने के लिए कहता। उनके 3 महीने के बेटे को कई स्वाथ्य की कमज़ोरिया थी जिनके लिए उसकी सर्जरी अनिवार्ये थी। मगर कुलदीप ने ना कोई मदद की और ना कोई चिकित्सा में सहयता की।

हिंसा तब बढ़ गयी जब अप्रैल 2009 में कुलदीप ने गगनदीप को इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा की उसका सर ज़मीन पर जाके लगा और फिर उसने गगनदीप के बाल पकड़ के उसके मुँह पर मुक्के से वार किया, उससे दीवार की तरफ धकेला और उसकी पीठ और पेट पर लात से वार किया।

जून 2010 में कुलदीप बहार से शराब के नशे में धुत्त घर आया और आते ही गगनदीप के साथ सोने की ज़िद्द करने लगा। गगनदीप ने उससे कहा की वह बच्चे को सुलाकर उसके पास आएगी इस बात पर कुलदीप आक्रोश में आकर उससे मारने लगा और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा जब बच्चा उसके हाथ में था। गगनदीप ने थोड़ी देर के लिए होश गवा दिया था पर जब उससे होश आया तो वह अपनी सास के पास मदद के लिए गयी पर उन्होंने मदद करने से इंकार कर दिया। इस हादसे से उनके बच्चेपर इतना आघात हुआ की उसे तुरंत ही बुखार चढ़ गया।

अगले दिन गगनदीप बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर गयी तो डॉक्टर ने उसके चेहरे पर निशाँ देखे जो पिछली रात की दुर्घटना के कारण हुए थे। गगनदीप ने उसका कारण डॉक्टर को नहीं बताया। उस ही दिन , कुलदीप ने पिछली रात की बात अपने एक रिश्तेदार को बताई जिसने कुलदीप को सलाह दी की वह आगे से ऐसा न करे। उस समय गगनदीप एक रिश्तेदार के घर गयी थी कुछ दिनों के लिए , कुलदीप वहाँ आकर उससे माफ़ी मांगने लगा और उसे आश्वासन देने लगा की दोबारा ऐसा नहीं होगा। और गगनदीप उसके साथ आसपास घर लौट आयी।

कुलदीप ने अपना वचन नहीं रखा और गगनदीप को प्रताड़ित करता गया। गगनदीप के साथ मार-पीट , जबरन यौन-संबंध होता रहा , कभी तो जब बच्चा गगनदीप के हाथो में होता था। कुलदीप का बच्चे के प्रति गुस्सा भी बढ़ता गया। एक शाम जब बच्चा सिर्फ 18 महीने का था तब कुलदीप ने उससे खिलोनो से खेलने से रोका और जब वह नहीं रुका तोह उसने उसके मुँह पर थप्पड मारा। जब गगनदीप उससे बचाने के लिए बीच में आयी तो कुलदीप ने उसे भी मारा। गगनदीप ने इस शोषण के बारे में अपने माता-पिता से बात की तो उन्होंने उसे रिश्ते सुधारने का प्रयास करने की सलाह दी।

आखरी घटना तब हुई थी जब एक रात को कुलदीप से और शराब के नशे में आया था , और आते ही गगनदीप और उसके परिवार वालो के बारे में अपमान-जनक बाते करने लगा। गगनदीप ने जब उससे रोकने की कोशिश की तो कुलदीप ने उसका सर बेड की अगली पीठ पे दे मारा और उसका गला दबाने लगा और कहने लगा की वह उससे मार देगा। गगनदीप ने किसी तरह अपना फ़ोन लेकर 911 (पुलिस) को फ़ोन किया , कुलदीप ने उसका फ़ोन उससे छीनकर तोड़ दिया , पर पुलिस रस्ते में थी। उस समय तक गगनदीप की सास भी वह आ चुकी थी , उन्होंने वहाँ आकर गगनदीप के जाने का रास्ता रोका और कुलदीप से कहने लगी की कुलदीप गगनदीप को , उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है कुलदीप को उसकी स्थायी नागरिकता मिल चुकी है। इससे पहले कुलदीप कुछ करता पुलिस वहाँ आ गयी।

पुलिस ने कुलदीप को वह से हटाया और उससे हमला करने और जानलेवा धमकी देने के लिए गिरफ्तार किया। गगनदीप उस रात वही रही और अगले दिन अपने माता-पिता के पास चली गयी। कुलदीप को इस शर्त पे ज़मानत मिल गयी की वह गगनदीप से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेगा। नवंबर 2010 में डॉक्टर और समाज सेवको की सहायता के बाद गगनदीप ने कुलदीप पे यौन-शोषण का आरोप लगाया और उसके खिलाफ एक निरोधक आदेश भी लिया पारिवारिक न्यायलय से ।

समाधान

3 साल के बाद कुलदीप को सजा सुनाई गई, 5 साल की परिवीक्षा (प्रोबेशन) और 2 साल तक गगनदीप से संपर्क ना करने का आदेश। पारिवारिक न्यायलय ने गगनदीप को उसके बच्चे की पूरी ज़िम्मेदारी दी। कुलदीप

देख-रेख में अपने बेटे से मिल सकता था। २०१६ में कुलदीप और गगनदीप का तलाक हो गया। गगनदीप ने दोबारा शादी कर ली है और अब वह अपने नये पति और बेटे के साथ रहती है। वह पूर्ण-समय काम करती है और उसके माता-पिता उसके बेटे की देख-रेख में उसकी सहायता करते है।

केस स्टडी (अध्ययन) नंबर 6 नम्रता और दिनेश

प्रालेख	**महिला**	**पुरुष**
नाम	नम्रता	दिनेश
शादी के समय उम्र	22	28
उम्र *	35	41
मूल देश/ रहवासी	भारत	भारत
धर्म	जैन	जैन
शिक्षा	एम. कॉम डिग्री	डेंटिस्ट (दंत - चिकित्सक)
अंग्रेज़ी भाषा की क्षमता	प्रवीण	प्रवीण
रोज़गार, प्रवास से पहले	कोई नहीं	दुसरे डेंटिस्ट के साथ काम
रोज़गार *	बेरोज़गार	डेंटिस्ट, खुद का काम
आव्रजन श्रेणी	आर्थिक वर्ग	आर्थिक वर्ग (मुख्या आवेदन-करता)
आव्रजन स्थिति	नागरिक	नागरिक
शादी के वर्षों की संख्या*: 12		

बच्चे*:

बेटी: इन्द्राणी (12 वर्ष)

जुड़वा बेटे: राम और शाम (दोनों 6 वर्ष के) इनमे से एक को जन्म से विशेष आवश्यकताये है और गंभीर स्वस्थ समस्याये भी, जिसके कारण उसके सर्जरी और विशेष ध्यान की आवश्यकता रहती है।

* पारिवारिक न्यायालय की आवेदन के समय

प्रवास अथवा देशान्तरण से पहले का इतिहास

नम्रता और दिनेश भारत में रहते थे जहाँ दिनेश डेंटिस्ट (दंत-चिकित्सक) का काम करता था। उनका विवाह पारिवारिक रजामंदी से हुआ था। दोनों के परिवार उस समय भारत में ही रहते थे। साथ रहने के 2 साल के अंदर दिनेश के अप्रवास की अर्ज़ी की स्वीकृति आ गयी। दिनेश नम्रता के बिना ही कनाडा चला गया क्यूंकि नम्रता गर्भवती थी और वह उसके साथ आ नहीं सकती थी। उनकी बेटी दिनेश के जाने के 2 महीने बादअक्टूबर 2001 में पैदा हुई थी । दिनेश इस बात से नाराज़ था क्यूंकि उससे बेटा चाहिए था। [1] दिनेश के भाई ने लड़की पैदा होने पर अपनी नाराज़गी उस बच्ची की एड़ी पर गरम लोहे का कप लगा कर उससे जलने की कोशिश करके दिखाई जब वह 10 महीने की थी। नम्रता भारत में अपने पति के बिना 17 महीने रही और अपनी बेटी को अकेले पालती रही। उसने
अपने पति से इस दौरान बहुत काम बात-चीत की। नम्रता को अपने आव्रजन का स्वीकृति पत्र दिसंबर 2002 में प्राप्त हुआ और उसने जल्द ही अपने पति के पास जाने की तयारी शुरू कर दी, पर उसके ससुर ने उसके पासपोर्ट को घुम कर दिया जिसके कारण उससे आपातकाल पासपोर्ट लेकर जाना पड़ा।

कनाडा में उनके जीवन की शुरुआत

नम्रता अपनी 15 महीने की बच्ची की साथ जनवरी 2003 में कनाडा आयी । नम्रता अपनी बच्ची घर के काम का ध्यान रखती थी। नम्रता के आने के कुछ समय बाद ही दिनेश को एक दंत-चिकित्सा विश्व-विद्यालय में स्वीकृति मिल गयी और वह अपनी दन्त-चिकित्सा कार्य के अभ्यास की त्यारीयाँ करने लगा। दिनेश ज़्यादातर

समय विद्यालय में लगता और अपने परिवार को समय बहुत काम देता। 2 साल बाद जब दिनेश की पढाई सफलतापूर्वक ख़त्म हुई तो दिनेश और उसका परिवार दुसरे शहर रहने चले गए जहा दिनेश को काम मिला। नम्रता दोबारा गर्भवती हुई और इस बार उससे बेटे हुए। जब नम्रता 7 महीने गर्भवती थी तब उसकी तबियत में खराबी आयी और उससे हस्पताल ले जाना पड़ा। दिनेश अपने काम में इतना व्यस्त था की उसने अपनी पत्नी की खराब सेहत में भी उसका साथ नहीं दिया। जुलाई 2006 में नम्रता ने 2 जुड़वाँ पुत्रो को जन्म दिया और परिस्थितियाँ और जटिल हो गयी। एक बेटे की तबियत बहुत खराब थी और उससे तुरंत ही शिशु-हस्पताल में भर्ती कराया गया शल्य चिकित्सा (सर्जरी) के लिए। नम्रता भी अपने ऑपरेशन से उभर रही थी इसलिए उसके साथ आ नहीं पायी। दिनेश काम से छुट्टी लेकर अपने बेटे को लेकर जाने से बहुत असंतुष्ट था परंतु अंत में वह मान गया। 1 वर्ष बाद उनके दुसरे बेटे के मुँह पर गरम चाय गिरने की वजह से काफी गंभीर जलने के घाव आये जिसके लिए उससे कई बार डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता था और दोनों ही बेटो को छोटी उम्र में बहुत देख-भाल की आवश्यक्ता थी। दिनेश ने इसमें नम्रता की बिलकुल भी मदद नहीं की वह या तो उन्हें अकेली हस्पताल लेकर जाती या किसी मित्र से सहायता माँगती।

घरेलु हिंसा

नम्रता ने कनाडा आने से पहले अपने ससुराल में भावनात्मक अत्याचार की अनुभूति की थी और दिनेश का उसपर ध्यान न देना चलता रहा , हालाँकि उसकी धन एकत्रित करने की इच्छा कनाडा आने के बाद दिन प्रतिदिन प्रबल होती गयी। वह हमेशा ही धन-संपत्ति से जुड़े फैसले खुद ही लेता था और नम्रता को उन चर्चा में भाग नहीं लेने देता था। जिस वर्ष उनके जुड़वाँ बेटे पैदा हुए थे उस वर्ष दिनेश ने अपने नाम पर एक दन्त-चिकित्सा व्यापर के पंजीकरण कराया था और नम्रता को उसमे कर्मचारी दिखा कर सकरारी कर में घपला कर रहा था। साथ ही साथ वह कही और भी काम कर रहा था। 2009 में उन्होंने अपना घर खरीदा। उसी वर्ष दिनेश ने घर के हिस्से के कुछ पैसे कही और निवेश कर दिए और इनकी जानकारी नम्रता को नहीं दी , जबकि कुछ निवेश उसके नाम से भी किये गए थे।

ऑक्टूबर 2011 में दिनेश बहुत ही आक्रामक हो गया था और नम्रता की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगा था। उसने नम्रता को घर से बहार निकलने और उसके आर्थिक समर्थन को बंद करने की धमकी दी। उसने नम्रता के घर (भारत में) फ़ोन करके भी उन्हें यह धमकी दी। नम्रता के माता-पिता ने अपने कनाडा में रहने

वाले मित्रो से उनकी सहायता करने के लिए कहा , पर दिनेश ने नम्रता को अपने पिता की सलाह पर रहने दिया। नम्रता के परिवार ने उसपर दबाव बनाकर उससे माफ़ी मँगवाई और उससे माँगनी पड़ी अन्यथा दिनेश उसे घर से बहार निकाल देता। एक मित्र ने उन्हें एक सलाहकार के पास जाने के लिए कहा। दिनेश तो नहीं मन लेकिन नम्रता फिर भी जाने लगी। दोनों घर के अलग कक्षों में रहने लगे। दोनों के माता-पिता भारत से आकर न्हें मनाने का प्रयत्न करने लगे के उनके सुलह कर लेनी चाहिए। नम्रता ने अपने बच्चो की भलाई के लिए यह बात मान ली। एक साल के अंदर , दिनेश ने घर में सी.सी.टी.वी कैमरे लगवा दिए ताकि वह नम्रता की गतिविधियों पर नज़र रख सके और उसे कहा की उसने उसके पीछे जासूस भी लगा रखे है। ऊपर से , दिनेश ने उसने अपने खातों में से बहुत बड़ी रकम निकाल के भारत अपने भाई के पास भेज दी। उसने घर के हिस्सेदारी के कागज़ो पे नम्रता के हस्ताक्षर करवाके उसके नाम की रकम अपने नाम करनी चाही पर नम्रता ने मन कर दिया और उससे दिनेश बहुत क्रोधित हुआ।

अपनी शादी के दौरान नम्रता और दिनेश में बच्चो के रख-रखाव को लेकर झगडे होते रहे। दिनेश अक्सर उन्हें गलती पर मारता, उन्हें टी.वी पर हिंसक तस्वीरें दिखाकर डराता या उन्हें यह सिखाता की किसी किसी भी समस्या का समाधान लड़कर किया जाये। दिनेश अपनी 9 वर्ष की बेटी से घर के झगड़ो के बारे में बात करता और उसके सामने नम्रता और उसके नाना-नानी के बारे में बुरा-भला कहता।

दिनेश हमेशा ही नम्रता पर शक करता की उसके गैर-विवाहित समभंद उसके मित्र बलवंत से है, जो अक्सर उनके घर रुका करता था। दिनेश ने घर के अंदर और बाहर कैमरे लगा रखे थे जिन्हे वह अपने फ़ोन से देख सकता था। नम्रता को उसके कारण अपनी और अपने बच्चो की सलामती की परवाह होती रहती। एक बार दिनेश ने नम्रता से उनकी बेटी का वंशाणु (डी.एन.ए) टेस्ट करवाने की मांग की ताके यह स्पष्ट हो सके की वह उसकी ही पुत्री है।

2 मौको पर बाल कल्याण समिति (चाइल्ड ऐड सोसाइटी) को उनके परिवार में हस्तक्षेप करना पड़ा। 2010 में उनके एक जुड़वाँ बेटे ने अपने शिक्षक को बताया की उससे उसके पिता ने बेट से मारा। नम्रता ने ऐसे कोई भी घटना के होने से इंकार कर दिया क्यूंकि उससे डर था की वह उसके बच्चो को उससे छीन लेंगे. 2 वर्ष बाद बच्चो ने अपने पारिवारिक चिकित्सक को बताया की उनके घर पे उनके साथ साथ दुर्व्यवहार हो रहा है।

अप्रवासी समुदायों में घरेलू हिंसा: केस स्टडी (अध्ययन)

2012 में नम्रता और दिनेश के एक झगडे के बाद समिति के एक कार्यकर्ता को उनके घर आना पड़ा। उसके जाने के बाद , दिनेश ने नम्रता के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया , उसके सारे कागज़ात उससे छीनकर उसपे गैर सम्बंद रखने का आरोप लगाया। बच्चो ने भी इस घटना को साक्ष्य किया। दिनेश ने पुलिस को बुलाकर उन्हें झूठी कहानी सुनाई और सारा दोष नम्रता इ ऊपर डाल दिया। पुलिस ने नम्रता को उस रात के लिए घर से जाने के लिए कहा अपने बच्चो को छोड़कर , जबकि उसने उन्हें बाल कल्याण समिति और अन्य सभी चीज़ो के बारे में बताने की कोशिश की। बच्चे घर पर दिनेश और एक सहायक के साथ रहे। नम्रता को पुलिस की और से कोई सहायता नहीं मिली की वह रात कहा गुज़ारे , उनसे अपने किसी मित्र के घर पर रात काटी। उस रात से नम्रता और दिनेश का बिछड़ना शुरू हो गया था।

जब नम्रता अगले दिन अपने घर पहुंची तो उसने एक संस्थान से सहायता मांगी जिसने उन्हें विक्टिम सर्विसेज अर्थात पीड़ितो के सहयता केंद्र से जोड़ा। सहयता केंद्र ने पुलिस में नम्रता का नया ब्यान दर्ज़ करवाया और पुलिस ने जब उस ब्यान के बार एमए दिनेश को बताया तो वह क्रोधित हो उठा और नम्रता और बच्चो को वापस भारत भेजने की धमकी देने लगा। उसने घर में सहायता के ले नौकरानी को भी हटाने का प्रयास किया ताकि नम्रता अकेली पड़ जाये। हालांकि , नम्रता और दिनेश अलग हो चुके थे पर वह अभी भी एक छत्त के निचे रह रहे थे। नम्रता ने अदालत से दरख्वास्त की , की उससे कुछ खर्चा दिया जाये ताकि वह दिनेश से अलग हो सके। जैसे ही यह दरख्वास्त मंज़ूर हुई नम्रता अपने बच्चो को लेकर 2 कमरे के एक मकान में चली गयी ताकि वह उस प्रताड़ना से मुक्त हो सके।

समाधान

नम्रता के जाते ही दिनेश ने अदालत में अर्जी लगाई की बच्चो को वापस घर भेज दिया जाये जिससे रोकने के लिए नम्रता ने भी अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने नम्रता के खुद घर छोड जाने पर उसकी आलोचना की, जिससे वह " सेल्फ हेल्प स्टेप्स " अर्थात स्वयं सहायक कदम कहते है , दुर्व्यवहार का ऐतिहासिक आरोप को देखते हुए। अदालत नम्रता से अपेक्षा करती थी की वह उसके लिए अदालत का आदेश मांगती। अदालत को नम्रता के असुरक्षा के कथन पर भी अविश्वास था क्यूंकि वह दिनेश को सप्ताह के अंत में बच्चो से मिलने की अनुमति दे रही थी। दिनेश ने अपनी पूर्ण आर्थिक सूचना देने से इंकार किया और नम्रता को यह मुद्दा भी अदालत में लेकर जाना पड़ा ताकि वह यह सूचना प्राप्त कर सके।

उस सूचना में उसके सारे व्यापार और निवेश का विवरण था , जिसके लिए कई वित्तीय और खाता विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ी। अंततः नम्रता यह सिद्ध कर पायी की दिनेश के पास कितनी धन सम्पत्ति एकत्रित थी जिससे की एक जायज़ बटवारा हो सका। दिनेश और नम्रता का घर कोर्ट के आदेश पर बेच दिया गया और नम्रता को को उसमे से अपना हिस्सा प्राप्त हुआ। नम्रता को अपने और बच्चो के लिए खर्चे का प्रबंध करके दिया गया ताकि वह घर खरीदकर उसमे अपने बच्चो के साथ रह सके। तीनो बच्चे अपने पिता से समय-समय पर मिलते रहते है जैसे दिनेश का काम उससे आज्ञा देता है।

केस स्टडी (अध्ययन) नंबर 7: दीपा और अमोल

प्रालेख	**महिला**	**पुरुष**
नाम	दीपा	अमोल
शादी के समय उम्र	42	28
उम्र *	53	39
मूल देश/ रहवासी	भारत	भारत
धर्म	सिख	सिख
शिक्षा	स्नातक की डिग्री (कॉलेज)	स्नातक की डिग्री (कॉलेज)
अंग्रेज़ी भाषा की क्षमता	प्रवीण	प्रवीण
रोज़गार, प्रवास से पहले	हवाई जहाज़ कर्मचारी - एयर होस्टेस	विद्युत् इंजीनियर
रोज़गार *	बेरोज़गार	2009 में अपना ट्रक का व्यापार शुरू किया जिसका वह एकलौता मालिक है
आव्रजन श्रेणी	आर्थिक वर्ग	आर्थिक वर्ग
आव्रजन स्थिति	स्थायी नागरिक	स्थायी नागरिक
शादी के वर्षों की संख्या*: 11 बच्चे*:		

बेटा: अमर (7 वर्ष) बेटी: अंजू (7 वर्ष)

* पारिवारिक न्यायालय की आवेदन के समय

प्रवास अथवा देशान्तरण से पहले का इतिहास

दीपा अमोल के साथ उसके विवाह से पहलेएक विमान कंपनी में हवाई जहाज कर्मचारी अथवा एयर होस्टेस का काम करती थी । दोनों भारत के एक बड़े शहर में रहते अपनी शादी के समय। दीपा ने अपनी बचाई हुई कमाई से शादी के बाद मकान खरीदा लिया। जब उनका परिवार कनाडा जाने लगा तब उस मकान को बेचकर अमोल ने अपने नाम पे एक ज़मीन ख़रीदली। दीपा ने अपनी कंपनी से स्वैच्छिक निवृति (त्याग) ले लिया और अपना निवृति पेंशन भी तुड़वा कर ले लिया जिसकी कीमत 27 हज़ार कैनेडियन डॉलर या 15 लाख भारतीय रूपये थी। अमोल को शुरुआत से ही अधिक मात्रा में शराब पीने की आदत थी।

कनाडा में उनके जीवन की शुरुआत

दोनों ने साथ में कनाडा प्रवास करने की अपील दाखिल की थी और अमोल पहले कनाडा आया। जुलाई 2007 में अमोल एक निर्माण कंपनी में और कई अन्य काम करने लगा ताकि वह अपने परिवार को नए माहौल में रख आराम से रख सके। दीपा अपने बच्चो के साथ अगस्त 2008 में आयी। 2009 में अमोल ने अपना खुद का ट्रक का कारोबार शुरू किया जिसका वह एकलौता मालिक था और चालक था। दीपा को कनाडा आने से पहले यह आभास हो गया था की अमोल के शादी के बाहर भी संबंध किसी और स्त्री से है , जिसके बारे में जब दीपा ने उससे बात की तो अमोल ने उससे कहा की उसके पास उसका साथ रहने के सिवाय और कोई चारा नहीं। और दीपा ने बच्चो की भलाई के लिए रहना सही समझा।

घरेलु हिंसा

दोनों के बीच में कई परेशानियां खड़ी होने लगी अपनी शादी को लेकर अमोल के गैर विवाहित संबंध और शराब की लत्त के कारण। वह अपने ट्रक को शराब पीते हुए चलाता जब बच्चे उसके साथ होते और घर पर

अपनी शराब किसी भी साथ स्थान पर छोड़ देता। वह जूस की बोतलों में शराब छुपकर पीता , एक बार उसकी बेटी ने शराब को जूस समझ कर पी लिया था। शराब पीकर अमोल दीपा के साथ मौखिक और शारीरिक दुर्व्यहार करता जिससे बच्चे देखते और बच्चो पर चिल्लाता। वह बच्चो के सामने इंटरनेट पर अश्लील तस्वीरें देखता जिसके कारण बच्चे उससे डरते थे। कई बार दीपा से लड़ाई के बाद वह लड़कर बहार जाता , शराब पीता और आकर घर के बाहर आँगन में सो जाता।

सितम्बर 2009 में अमोल ने दीपा के साथ मारपीट की थी जिसकी शिकायत दीपा ने पुलिस स्टेशन में दर्ज़ करवाई। अमोल को उसके हिंसक व्यव्हार और जान से मारने की धमकी देने के लिए गिरफ्तार किया गया और बेल मिलने पर उससे आदेश दिया गया की वह दीपा से संपर्क न करे। बाल कल्याण समाज (चाइल्ड ऐड सोसाइटी) को मामले में दखल देना पड़ा। दोनों अलग-अलग बेसमेंट मकानों में रहने लगे। दीपा बच्चो के साथऔर अमोल अकेला। हलाकि अमोल को सख्त आदेश थे की वह मिलने ना आये पर फिर भी वह दीपा के मकान पर बच्चो से मिलने के लिए आता। 2010 में , आपराधिक न्यायालय ने अमोल से शांति बंधन (पीस बॉन्ड) पर हस्ताक्षर करवा लिए और उससे किसी भी स्थिति में दीपा से संपर्क न करने का आदेश दिया। पर उनके परिवार के अनुरोध पर दीपा ने अमोल से सुलह कर ली। उनका रिश्ता अब बहुत कमज़ोर हो चुका था , पर अमोल ने वकील द्वारा दीपा से अलगाव पत्र पर दस्तावेज़ करवा लिए दोबारा साथ रहने से पहले। अमोल ने पैसे देकर एक और वकील को बुलाया ताकि वह दीपा को अलगाव पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए साक्ष्य बन सके और दीपा को कानूनी सलाह दे सके। दीपा ने बिना पूरी तरह समझे उन् पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए जिसकी उससे पूरी तरह जानकारी न थी न दी गयी थी की वह किस विषय में है , दोनों वकीलों द्वारा। उस पत्र पर यह शर्त भी थी की अमोल बच्चो की ज़रूरतो के लिये केवल 150 डॉलर देने को बाध्य है और दीपा को देने के लिए कुछ भी नहीं। जब यह पत्र पर हस्ताक्षर हुए तब अमोल ने अपनी पूरी आर्थिक स्थिति का ब्यौरा भी नहीं दिया था। साथ ही साथ , पत्र पर यह भी लिखा था की दीपा को बच्चो की ज़िम्मेदारी दे जाएगी और अमोल को उनसे मिलने की अनुमति होगी। दीपा ने यह सोचकर संपत्ति से संबंधित सभी अधिकारों को भी माफ कर दिया क्योंकि वह सोचती थी कि यह व्यवस्था सुलह के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में की रही है।

अगस्त 2010 में अमोल दीपा और बच्चो को लेकर बेसमेंट मकान में रहने लगा। नवंबर 2010 में अमोल ने अपने नाम पर एक नया घर खरीदा और सबको लेकर वह रहने लगा। अमोल के माता-पिता नये साले के

समय उनसे मिलने आये और 6 महीनो के लिए उनके साथ रहे। उनके जाने के बाद अमोल भी भारत अपने एक मित्र की शादी के लिए चला गया। वह दिसंबर 2011 में अपने जुड़वाँ बेटो के जन्म दिवस के समय पर आया। अगले ही दिन दीपा को एक अनजाने नंबर से फ़ोन आया की उसके पति का भारत में विवाह हो गया है। दीपा ने अमोल का बैग खोलकर देखा तो उसमे उसकी शादी की डी.वी.डी निकली। दीपा को इस बात की सूचना नहीं थी की अमोल ने साथ के एक शहर में तलाक की अपील दाखिल कर रखी थी और अप्रैल 2010 में वह मंज़ूर हो चुकी थी , जो की अनमोल के भारत जाने से 7 महीने पूर्व था। दीपा को दाखिल हुई अपील की कोई सूचना नहीं पहुंची थी वह असमंजस में थी की उससे सूचना दिए बिना यह कार्य कैसे हुआ [1]। उसने अमोल से इसके विषय में बात की और अमोल दिसंबर 2011 में घर छोड़कर चला गया। दीपा ने ओंटारियो वर्क्स में अर्ज़ी लगायी और 8 महीने तक सरकारी सहयता पर रही। उसके पश्चात उससे स्कूल बस चलने की अंशकालीन (पार्ट-टाइम) नौकरी प्राप्त हुई सितम्बर 2012 में। दीपा अमोल के घर में रहती रही पर अमोल और उसके मित्र उससे फ़ोन कर-करके परेशां करते और कहते की वह वह से चली जाये।

2013 से अमोल ने उस घर का बिजद्ली और पानी का भुगतान करना बंद कर दिया जसिके कारण कई महीनो तक यहाँ तक की सर्दी के महीनो में बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं रही। दीपा और बच्चो को पास के एक आवास केंद्र में नहाना पड़ता। मई 2015 की शुरुआत में अमोल ने बैंक का कर देना भी बंद कर दिया जिसके कारण बैंक ने घर को अपने कब्ज़े में ले लिया और दीपा और बच्चो को वह से जाना पड़ा।

समाधान

इस मामले में विवाद का कारण यह था की जब दोनों अलग हुए तब भी वह साथ रह रहे थे क्यूंकि दीपा के अनुसार वह शादी दिसंबर 2011 तक जायज़ थी, जब अमोल घर छोड़कर गया हालांकि , अलगाव पत्रों पर जून 2009 में हस्ताक्षर हुए थे। इसका प्रभाव बच्चो और पत्नी के समर्थन भुगतान पर निहिर्थ था। अमोल ने 2012 में न्यायलय में अर्ज़ी दाखिल की , कि दीपा ने उससे बच्चो से दूर किया किया और उससे बच्चो से मिलने नहीं दिया। उसने फिर बच्चो की रेक-देख की जिम्मेदारी अथवा बच्चो को रखने की अनुमति न्यायलय से मांगी। दीपा ने यह इलज़ाम यह कह कर नकारा की उसने कभी भी अमोल को नहीं रोका और अमोल ने उनसे माइन का कोई प्रयत्न नहीं किया। दीपा ने अदालतों से पिछले अलगाव को खारिज के लिए कहा। उसने

बच्चो की देख-रेख के लिए अदालत से दरख्वास्त की और अमोल को और उसने दरख्वास्त की, कि अमोल को उनसे मिलने के अनुमति दे दी जाये। उसने दरख्वास्त की , की बच्चो के लिए अलग वकील दिया जाये , बच्चो और उसका खर्चा उससे दिलवाया जाए और उससे मिलने अथवा संपर्क करने के लिए अमोल को प्रतिबंधित किया जाये ।

केस स्टडी (अध्ययन) नंबर 8: क्लाउडिया और हेनरी

प्रोफाइल /रूपरेखा	महिला	पुरुष
नाम	क्लाउडिया	हेनरी
शादी के समय उम्र	24	46
उम्र *	32	54
मूल देश /कन्ट्री ऑफ ऑरिजिन	डोमिनिका	डोमिनिका
धर्म	ईसाई	ईसाई
शिक्षा	उच्च विद्यालय अधूरा	उच्च विद्यालय
अंग्रेजी भाषा की क्षमता	अनुभवी	अनुभवी
प्रवास से पूर्व रोज़गार	बेरोज़गार	कोई जानकारी उपलब्ध नहीं
रोज़गार *	बेरोज़गार	खिड़कियाँ साफ करने का निजी व्यवसाय
श्रेणी जिसके अंतर्गत अप्रवासी	फैमिली स्पॉन्सरशिप (पारिवारिक प्रायोजन)। हेनरी ने स्पॉसल स्पॉन्सर शिप प्रोग्राम के तहत क्लाउडिया को प्रायोजित किया।	कोई जानकारी उपलब्ध नहीं
अप्रवासिय स्थिति *	पर्मनन्ट रेसिडेंट (स्थायी निवासी)	सिटिज़न (नागरिक)
शादी के साल *: 8 बच्चे *: बेटी: फेथ (5 वर्ष) बेटी: होप (5 वर्ष)		

*परिवार न्यायालय के आवेदन के समय

पूर्व प्रवासिय इतिहास और कनाडा में बसना

क्लाउडिया 1999 में एक विसिटर/पर्यटक के रूप में कनाडा आईं और 2004 में उसकी मुलाकात हेनरी से हुई । हेनरी 15 वर्षों से कनाडा में रह रहा था और उसका खुद का निजी व्यवसाय था । क्लाउडिया हेनरी के साथ उसी के घर मे रहने लगी। क्लाउडिया ka विज़िटर स्टैटस समाप्त हो चुका था और 2006 मे उसे कनाडा से निष्कासित कर दिया
गया। उस समय वह जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती थी। क्लाउडिया अपनी
दो बेटियों के साथ डोमिनिका में अगले छह (6) वर्ष तक रहीं।

कनाडा मे अप्रवास के लिए क्लाउडिया और उसकी बेटियों को हेनरी द्वारा प्रायोजित किया गया। प्रायोजन से पूर्व डी एन ए परिक्षण द्वारा हेनरी अपने बेटियों के साथ रिश्ता स्थापित करना चाहता था।क्लाउडिया को कन्डिशनल पर्मनेंट रेसिडेंट का दर्जा प्राप्त हुआ और वर्ष 2012 में वह अपनी बेटियों के साथ कनाडा पहुँची । हेनरी ने अपना घर बेच दिया था इसलिए कनाडा पहुचने के बाद क्लाउडिया, हेनरी और उनका परिवार किराए के घर मे रहने लगे।

घरेलु हिंसा

पहले से ही हेनरी क्लाउडिया पर नियंत्रण रखता था। वह क्लाउडिया पर भावनात्मक और आर्थिक अत्याचार करता था। वह न ही घर खाना लाता था और न ही घर के रोज़ के खर्च के लिए कुछ देता था। वह क्लाउडिया को अपशब्द कहता और हमेशा उसपर शक करता। हेनरी हमेशा क्लाउडिया के दूसरों से वार्तालाप पर नियंत्रण रखता था। अपार्टमेंट की एक ही चाबी थी जो हेनरी अपने पास रखता था ताकि वह आने-जाने वाले लोगों पर निगरानी रख सके। हेनरी शराबी था। वह अत्यधिक शराब पीकर शोर-शराबा करता और विध्वंसक हो जाता था।

घर मे कुछ भी ठीक नही चल रहा था। हेनरी बहुत लापरवाह था। वह न ही क्लाउडिया को खाने और कपड़ों के लिए कुछ पैसा देता था और न ही बच्चों के साथ घुल मिलता। हेनरी से शराब के कारण बहुत बदबू आती थी जिसकी वजह से बच्चियों को उससे डर लगता था। बच्चियाँ हेनरी से दूर रहना चाहती थी। उन्होंने कहा कि जब भी हेनरी घर मे मौजूद होते, वे घर मे रहना नही चाहती।

स्कूल मे भर्ती होने के पश्चात/बाद लड़कियाँ व्यवहारिक मामलों (जैसे कि चीजों को फेंकना और बिस्तर गीला करना) से जूझने लगी और हेनरी से दूर भागने कि कोशिश की। जब लड़कियों की टीचर ने क्लाउडिया से लड़कियों के व्यवहारिक मामलों पर चिंता जताते हुए पूछ-ताछ की तब क्लाउडिया ने हेनरी के बर्ताव/व्यवहार के बारे मे बताया। हेनरी को स्कूल मे बुलाया गया जिसकी वजह से वह बहुत परेशान था। वो क्लाउडिया पर चिल्लाने लगा और आक्रामक बर्ताव करने लगा। मीटिंग खत्म होने बाद हेनरी ने काम पर जाने के बजाय क्लाउडिया का घर तक पीछा किया और उसने यह सुनिश्चित किया कि क्लाउडिया कही और न जाए। टीचर ने चिल्ड्रेनस ऐड सोसाइटी (सी ए एस) को संपर्क किया और वे तुरंत ही इस मामले मे शामिल हो गए। सोसाइटी ने परिवार से अगले दो वर्षों तक संपर्क बनाए रखा।

अगले दिन जब क्लाउडिया का एक मित्र उसके घर आया तो हेनरी आक्रामक होकर उनपर चिल्लाने लगा। उसने क्लाउडिया को धमकी दी कि वो उसकी अप्रवासिय स्तिथि रद्द करवा देगा। क्लाउडिया को कनाडा आए हुए छह महीने भी नही हुए थे। क्लाउडिया अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत डरी हुई थी इसलिए अक्टूबर 2012 मे वह अपने बच्चों के साथ आश्रय मे चली गई।

संकल्प

क्लाउडिया हमेशा से ही अपने बच्चों की मुख्य तौर पर देखभाल करती थी इसलिए हेनरी से वियोग के /अलग होने के बाद डि फैक्टो कस्टडी के तहत क्लाउडिया अपने बच्चों को अपने साथ रखकर उनकी देखभाल करने लगी। हेनरी बच्चों को अपनी कस्टडी (निगरानी) मे रखने की मांग की क्योंकि वह क्लाउडिया को चाइल्ड सपोर्ट(बच्चों के भरण पोषण के लिए भुगतान) नही देना चाहता था। हेनरी के अनुसार उसने पहले से ही प्रायोजन (sponsorship) फ़ीज़ पर अधिक भुगतान किया था। यह मामला 2013 मे फॅमिली कोर्ट मे आया और 2015 के बीच तक समाप्त हो गया। कोर्ट ने क्लाउडिया को बच्चों की कस्टडी (निगरानी) दी। कोर्ट ने हेनरी को बच्चों से मिलने की इजाजत दी लेकिन सिर्फ दिन मे बशर्ते वो बच्चों से मिलने के पहले और उस

दौरान शराब का सेवन न करे। हेनरी और क्लाउडिया के बीच नॉन कम्यूनिकेशन ऑर्डर था। हालांकि चिल्ड्रेनस ऐड सोसाइटी (सी ए एस) बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नही था फिर भी सोसाइटी क्लाउडिया के मामले मे वर्ष 2012 से जुड़ा हुआ था। सोसाइटी ने क्लाउडिया और बच्चों की बहुत मदद की। सोसाइटी ने उनको काउंसलिंग / परामर्श, घर के लिए और अन्य साधनों से अवगत कराया। क्लाउडिया की सरकारी सहायता जारी है और वह लड़कियों की सभी जरूरतों को पूरा करती है।

केस स्टडी (अध्ययन) नंबर 9: राबिया और अली

प्रोफाइल /रूपरेखा	महिला	पुरुष
नाम	राबिया	अली
शादी के समय उम्र	21	25
उम्र *	36	40
मूल देश /कन्ट्री ऑफ ऑरिजिन	पाकिस्तान	पाकिस्तान
धर्म	मुस्लिम	मुस्लिम
शिक्षा	कराची विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी में स्नातक की डिग्री का आंशिक समापन	अन्डरग्रैजुएट
अंग्रेजी भाषा की क्षमता	सीमित	सीमित
प्रवास से पूर्व/ पहले रोज़गार	बेरोज़गार	कार डीलरशिप के मालिक
रोज़गार*	बेरोज़गार	एक कार डीलरशिप कंपनी का मालिक और उसका संचालन
श्रेणी जिसके अंतर्गत अप्रवासी	बिजनेस एंटरप्रेन्योर वीसा	बिजनेस एंटरप्रेन्योर वीसा
अप्रवासिय स्थिति*	पर्मनन्ट रेज़िडन्ट (स्थायी निवासी)	पर्मनन्ट रेज़िडन्ट (स्थायी निवासी
शादी के साल/वर्षों की संख्या*: 15 बच्चे*: बेटा: अकबर (13 वर्ष) बेटी: रशीदा (8 वर्ष)		

बेटी: रुखसाना (5 वर्ष)
बेटी: अला (4 वर्ष)
बेटी: सुल्ताना (4 वर्ष)
बेटी: अफ़रोज़ (3 महीने)

*परिवार न्यायालय के आवेदन के समय

पूर्व प्रवासिय इतिहास

शादी के शुरुआती दौर मे, दम्पत्ति मिडल ईस्ट/मध्य पूर्वी देश गए, जहा अली ने अपनी कर डीलरशिप स्थापित की। अली के बेटे को अस्थमा था और मिडल ईस्ट/मध्य पूर्वी देश का वातावरण उसके अनुकूल नही था फिर भी अली ने अपने परिवार को वहा स्थानांतरित किया। शादी के चार साल बाद, मई 1999 मे, बिजनेस एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के तहत राबिया और अली अपने युवा बेटे के साथ कनाडा मे आकर बसे। इस अप्रवासिय श्रेणी के नियम अनुसार, अली अपने साथ 300,000 अमेरिकी डॉलर लेकर आया। पहले राबिया कनाडा आने के फैसले से सहमत नही थी, वह सिर्फ अपने परिवार को साथ रखने के लिए अली के साथ कनाडा आई। परंतु जब उसे यह एहसास हुआ कि कनाडा का वातावरण उसके युवा बेटे के स्वास्थ के लिए अनुकूल और लाभदायी है, वह सहमत हुई कि कनाडा मे आकर बसना उनके लिए लाभदायी था क्योंकि उसके बेटे को रोज़ स्टेरॉइड लेने की आवश्यकता नही थी जो कि दुबई मे उसे हर रोज़ लेना पड़ता था।

कनाडा में बसना

मई 1999 मे, कनाडा आने के बाद, राबिया और अली ने नकद मे घर/कोंडोमीनियम खरीदा । अली ने एक फर्निचर स्टोर खोला और अपनी मिडल ईस्ट/मध्य पूर्वी देश की कार डीलरशिप को जारी रखा। दो साल बाद, दम्पत्ति ने ऋण लेकर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी /दूसरा घर खरीदा। इस दूसरे प्रॉपर्टी/घर को अली ने वर्ष 2003 मे बेच दिया, परंतु राबिया को उसमे से कोई भी हिस्सा नही मिला। वर्ष 2002 मे जब राबिया और अली पर्मनेंट रेसिडेंट बने, तब अली ने अपना फर्निचर स्टोर बेचकर काफी मुनाफा कमाया और दुबई मे अपने निवेश को जारी रखा। राबिया घर मे ही रहती और अपने बढ़ते परिवार की देखभाल करती। घर के काम-काज और बच्चों के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी राबिया की थी और पैसे कमाना अली की। कनाडा आने के पाँच वर्ष बाद अली ने कार निर्यात/एक्सपोर्ट का व्यवसाय शुरू किया जिसके ज़रिए वह कार खरीद कर मिडल ईस्ट/मध्य

पूर्वी देश मे निर्यात करता था।

घरेलु हिंसा

शादी के दौरान, बच्चों की उपस्थिति मे, अली राबिया का मौखिक और शारीरिक शोषण करता। इतना ही नही, अली राबिया के सामने, दूसरी महिलाओं के साथ अपने रिश्ते की नुमाईश करता जब भी उसे राबिया से यौन संबंध बनाना होता था। अली राबिया के फाइनैन्स/वित्त का नियंत्रण रखता था और सिर्फ जरूरी खर्च के लिए ही उसे पैसे देता था। बच्चों की पढ़ाई के अतिरिक्त/अलावा गतिविधियों के लिए अली राबिया को कुछ नही देता। अली न तो राबिया को घर से निकलने देता था, जब तक कि बहुत जरूरी न हो और न ही उसे अपने पाकिस्तान मे स्थित परिवार से संपर्क करने देता था। अली को जब भी व्यापार संबंधित दौरे (छह महीने) पर मिडल ईस्ट/मध्य पूर्वी देश जाना होता, वह बच्चों की मौजूदा हालत जानते हुए भी, राबिया और बच्चों को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता था। इस कारणवश बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए वह राबिया को मजबूर करता था। इस यात्राओं के दौरान, राबिया और बच्चे घर पर ही रहते और अली अपना व्यापार संभालता और देर रात तक घर से बाहर रहता। कनाडा वापस लौटने पर, राबिया को फिर से बच्चों का स्कूल मे दाखिला करवाना पड़ता और बच्चे पढ़ाई मे पीछे रह जाते।

अली अक्सर बच्चों पर चिल्लाता और उन्हे मारता, जिस कारणवश वे अली से डरते थे। अली समय-समय पर / जब तब राबिया को धमकी देता कि वह बच्चों को आधी रात मे विमान के द्वारा पाकिस्तान भेज देगा और राबिया फिर कभी बच्चों को नही डेकख पाएगी। फ़रवरी 2009 मे राबिया ने पुलिस से संपर्क साधा और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी मे अली द्वारा किए गए शोषण का विवरण दिया। उस दौरान अली और राबिया की दो बेटियों ने, जो उस वख्त छह और नौ साल की थी, अली द्वारा किए गए यौन शोषण का खुलासा किया और उनके बेटे ने शारीरिक शोषण का खुलासा किया। उनके बेटे ने यह भी कहा कि उसके नहाते वख्त, अली उसका विडिओ बनाता। स्पेशल विक्टिम्स यूनिट (एस वी यू) को इन आरोपों पर शक्क हुआ। उन्हे लगा कि बच्चों को इन आरोपों कि कोचिंग दी गई है। फिर भी चिल्ड्रेनस ऐड सोसाइटी (सी ए एस) ने दिसम्बर 2010 मे अली को चाइल्ड अब्यूज़/ बच्चों के शोषण रेजिस्ट्री मे अंकित किया। अली को राबिया पर शोषण का एक काउन्ट/ अंक और यौन शोषण के दो काउन्ट /अंक का आरोप लगा। वह ज़मानत पर रिहा हुआ और फॅमिली कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि वह राबिया और बच्चों के साथ कीसी भी तरह से संपर्क न रखे। कोर्ट ने यह भी

आदेश दिया कि वह देश छोड़कर नही जा सकता। अली ने मई 2009 मे कोर्ट मे अर्जी रखी और सफलतापूर्वक उसने बेल वेरियेशन हासिल किया जिसके तहत वह पासपोर्ट प्राप्त कर सका और व्यापार संबंधित यात्रा के लिए अनुमति प्राप्त की। कोर्ट के आदेश के महीनों बाद अली के भाई और बहन ने राबिया को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी वे फोन पर तो कभी राबिया के घर जाकर उसे मामले को कोर्ट के बाहर निपटाने के लिए कहते। अली का भाई राबिया के फोन पर धमकी भरे मेसेजेस छोड़ता यह कहते हुए कि अगर राबिया ने उससे बात नही की तो उसका घर और उसके बच्चे उससे छिन लिए जाएंगे और अल्लाह उससे नाराज़ रहेंगे। एक बार तो अली के भाई ने बहुत आक्रामक तरीके से राबिया के घर का दरवाज़ा खटखटाया और बच्चों को भी डराया। इस हादसे के बाद राबिया ने 911 पर काल किया और तुरंत ही पुलिस ने आकर उसे आश्वासन दिया कि अली के भाई को पुलिस ने आगाह किया है कि वो दुबारा राबिया से संपर्क न करे। राबिया ने फॅमिली कोर्ट से रेसट्रेनिंग ऑर्डर / आदेश प्राप्त किया जिसके तहत अली और उसके तरफ से कोई भी व्यक्ति राबिया से संपर्क नही कर सकते थे।

संकल्प

अली द्वारा राबिया पर किए गए शोषण के आरोपों पर अली ने अपने आप को दोषी बताया। हालांकि यौन शोषण संबंधित आरोपों को बाद मे खारिज कर दिया गया। उसे 12 महीने की परिवीक्षा की सज़ा मिली जिस दौरान वह अपनी पत्नी और बच्चों से संपर्क नही कर सकता था। इस फैसले के तहत उसे ऐंगर मैनेजमेंट सेशन्स / क्रोध प्रबंधन सत्र मे भाग लेना था। अगस्त 2011 मे उसे आदेश दिया गया कि वह अपना पासपोर्ट वकील को सौंपे और अपने वित्त का पूरा विवरण / खुलासा दे परंतु वह दोनों चीज़े प्रदान करने मे विफल रहा।

केस स्टडी (अध्ययन) नंबर 10: अंजना और मार्क

प्रोफाइल /रूपरेखा	महिला	पुरुष
नाम	अंजना	मार्क
शादी के समय उम्र	33	34
उम्र *	51	52
मूल देश /कन्ट्री ऑफ ऑरिजिन	गुयाना	गुयाना
धर्म	ईसाई	ईसाई
शिक्षा	उच्च विद्यालय	उच्च विद्यालय
अंग्रेजी भाषा की क्षमता	अंग्रेजी में बात कर सकती हैं	अनुभवी
प्रवास से पूर्व रोज़गार	बेरोज़गार	कोई जानकारी उपलब्ध नहीं
रोज़गार *	मशीन चालक	बेरोज़गार
श्रेणी जिसके अंतर्गत अप्रवासी	फॅमिली क्लास : अंजना को मार्क ने प्रायोजित किया (पति-पत्नी का प्रायोजन)	फॅमिली क्लास : मार्क को माता जी ने प्रायोजित किया उसके विवाह से पूर्व
अप्रवासिय स्थिति *	नागरिक	नागरिक
शादी के साल *: 18 बच्चे *: बेटी: अबी (22 वर्ष) बेटी: सुसन (20 वर्ष) बेटी: क्रिस्टीना (14 वर्ष) बेटा: शॉन (12 वर्ष)		

*परिवार न्यायालय के आवेदन के समय

पूर्व प्रवासिय इतिहास

अंजना और मार्क की शादी अगस्त 1992 में गुयाना में हुई थी। यह दोनों की पहली शादी थी। मार्क की माँ जो कनाडा में रहती थी उन्होंने मार्क को 1989 में प्रायोजित करके कनाडा बुलाया। मार्क और अंजना को 1988 में पहला बच्चा हुआ था और 1992 में दूसरा। 1992 में शादी के बाद मार्क ने अंजना को प्रायोजित किया और कनाडा बुलाया। अंजना अपनी दोनों बेटियों के साथ कनाडा आयी (4 वर्ष और 2.5 वर्ष)। कनाडा आने के बाद उनके 2 और बच्चे हुए 1996 में बेटी और 1998 में बेटा।

कनाडा में बसना

दोनों ने एक बड़े शहर में अपना घर खरीदा। मार्क , जो उस समय बेरोज़गार था ख़राब क्रेडिट हिस्ट्री होने के कारण अपने नाम से घर नहीं ले सका , इसलिए अंजना को होने नाम से घर लेना पड़ा। 13 साल तक उससे घर की किश्त भरनी पड़ी , 3 जगह पर काम करके घर का खर्च उठाना पड़ा। मार्क की नौकरी कभी स्थिर नहीं रही और वह कभी भी अंजना की मदद नहीं करता था चाहे वह घर के खर्च के लिए हो या किसी और प्रकार के खर्च के लिए। अंजना को खर्चे पूरे करने के लिए दोस्तों एव परिजनों से उधार लेना पड़ता था ताकि वह अपना घर न खो दे। खराब तबियत एव उच्च रक्तचाप (हाइपर टेंशन), संधिशोथ (आर्थराइटिस)और कार्पेल टनल सिंड्रोम जैसी हानिकारक बीमारिया होने के बाद भी अंजना अपने आप को काम करने के लिए खुद को समझाती रहती।

घरेलु हिंसा

उनके शादी के 18 वर्षों के दौरान मार्क हमेशा ही अंजना और बच्चो को मौखिक एव शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता। मार्क हमेशा ही अंजना को नियंत्रण में रखने की कोशिश करता, उसकी फ़ोन पर बात-चीत सुनता , काम पर उसका पीछा करता और उसके ईमेल पढ़ता। जब अंजना सो रही होती मार्क उसके बटवे की तलाशी लेता उसके बैंक के खातें और उनमे पैसो का आयत निर्यात को देखता। उनके व्यवहिक जीवन के दौरान कई बार पुलिस को बुलाया गया, अंजना और बच्चो ने 21 बार मार्क द्वारा किये गए शर्रीरिक शोषण की शिकायत पुलिस को करी अथवा मार्क ने 12 बार मौखिक प्रताड़ना की शिकायत पुलिस में की।

कनाडा आने के कुछ समय बाद ही मार्क ने अंजना पर हाथ उठाया और उसके सर पर चोट पहुंचाई। पुलिस को बुलाया गया और मार्क के खिलाफ शिकायत दर्ज़ की गयी। अंजना अपनी बेटियों के साथ महिला आश्रय में रही। बाद में मार्क को दोषी ठहराया गया और परिवीक्षा पर छोड़ दिया गया।दोनों अलग-अलग रहते थे लेकिन डेढ़ साल बाद सुलह हो गई।

मार्क बच्चो के साथ भी हिंसक व्यवहार करता। दिसंबर 2008 में जब अंजना काम पर थी तब मार्क ने गुस्से में आकर होनी दूसरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया , जो उस समय 17 साल की थी। वह उसके पीछे पूरे घर में दौड़ा।, उसे मारा और उसके ऊपर बेलन फेक के मारा। वह मार्क से बचने के लिए घर के बहार भागी पर मार्क ने उसका पीछा किया , उससे कलाई से पकड़ा और उसपर घुसो से वार करने लगा। एक पडोसी ने यह सब देखकर इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और मार्क को पकड़कर पुलिस ने उसपर पर धारा अनुशासित की। मार्क को फिर परिवीक्षा पर रखा गया। इस परिवीक्षा के समय के दौरान उसपर पड़ोस में एक और बच्चे पर हाथ उठाने का आरोप लगा और उसे उसके लिए भी परिवीक्षा मिली।

सितम्बर 2010 में , अपनी बेटी के साथ हुई घटना के लगभग तीन साल बाद मार्क को कई और अपराधों के लिए मुकदमा दायर किया गया जैसे की हमला करना , हथियार के साथ हमला करना , हथियार रखने के लिए और अनिष्ट कार्य करने के लिए। मार्क को कड़ी बेल की शर्तो पे रिहा किया गया। इस समय के दौरान दोनों एक-दूसरे से 2 साल के लिए अलग रहे। मार्क को हमला करने के लिए और बेल की शर्तो को ना माने के लिए दोषी पाया गया। उससे एक साल की कड़ी परिवीक्षा पर रखा गया जिसमे उससे अंजना और बच्चो से संपर्क करने की अनुमति नहीं थी। पर जब उसकी परिवीक्षा का समय ख़त्म हुआ तब वह घर में ज़बरदस्ती घुस आया और घर के बड़े कमरे , गेराज और बेसमेंट में जबरन रहने लगा। अंजना को समझ नहीं आया की वह क्या करे।

आगे भी ऐसे हमले होते रहे , जैसे की मार्क ने उनकी एक और बेटी पर हमला किया जिसके लिए मार्क पर और आरोप दर्ज़ किये गए। मार्क को घर छोड़ने का आदेश दिया गया और साथ ही साथ यह आदेश दिया गया की वह अपनी सारी चीज़े केवल कड़ी निगरानी में ही वह से ले। उसने इस आदेश का पालन नहीं किया और घर में घुस गया (जब उनका बेटा वह था) और घर से कई कीमती चीज़े ले गया। नवंबर 2014 में मार्क और

उसके बेटे के बीच झड़प हुई (जब बेटा 16 साल का था) और मार्क ने उसपर हमला किया। अंजना को इसके बारे 3 हफ्ते बाद पता चला जब उसके बेटे ने उससे इस बात की जानकारी दी।

घर में रहते हुए मार्क ने कभी भी घर को संभालने के लिए आर्थिक सहायता नहीं की। नगर निगम का कर 3 साल से बकाया था और अंजना को $10,000 का बकाया बिल आया। जिसके लिए बच्चो को अपने दादी से अंजना को उधर देने का आग्रह करना पड़ा क्यूँकि अंजना खुद से यह खर्च नहीं कर सकती थी। मार्क ने उस पैसा का आधा भाग देने का वादा किया था पर अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया। उसके ऊपर मार्क ने अंजना को आर्थिक रूप से तंग करने की कोशिश की , सरकार द्वारा जो पैसा अंजना की मदद के लिए भेजा जाता था उससे उसने अपने नाम पर कवने का प्रयास किया। इतने मानसिक तनाव और हिंसा से अंजना की तबियत बिगड़ने लगी और उससे घबराहट के दौरे पड़ने लगे।

संकल्प

मार्क से अपेक्षा है की वह बच्चों के लिए आर्थिक मदद देगा पर वह अपनी आर्थिक स्थति स्पष्ट रूप से नहीं बताता (जैसे की एक विंटेज गाडी) जो उसने अपने काले धंधो से जमा की है। उनके अलग होनी की तिथि पर अभी भी विवाद जारी है। उनका घर बेच के अंजना को उसका हिस्सा और बच्चों की सहायता के लिए कुछ राशि दी गयी है (2010 से 2015 तक अलग होना)। मार्क को उसका भी हिस्सा मिला। मार्क को स्पष्ट आदेश है न्यायालय का की वह अंजना से बिना वकील के बात न करे। मार्क से अपेक्षा है की वह अपने सबसे छोटे बचे के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा अपनी न्यूनतम वेतन के आधार पर। मार्क और अंजना का तलाक 2016 में परिद हुआ।

केस स्टडी (अध्ययन) नंबर 11: शोवा और अनन्त

प्रालेख	महिला	पुरुष
नाम	शोवा	अनन्त
शादी के समय उम्र	23	25
उम्र *	38	40
उद्गम देश	भारत	भारत
धर्म	हिंदू	जैन
शिक्षा	अन्डर्ग्रैजूइट	अन्डर्ग्रैजूइट
अंग्रेजी भाषा की क्षमता	प्रवीण	प्रवीण
रोज़गार प्रवास से पहले	इन्टीरीअर डिज़ाइनर	भारत में एक आयात, निर्यात व्यवसाय का मालिक
रोज़गार *	रिटेल जॉब	एक व्यवसाय का मालिक
आव्रजन श्रेणी	टेम्परेरी वर्क परमिट (2007) । 2009 में स्टार्ट-अप वीज़ा प्रोग्रैम के अंतर्गत पीआर।	टेम्परेरी वर्क परमिट (2007) । 2009 में स्टार्ट-अप वीज़ा प्रोग्रैम के अंतर्गत पीआर।
आव्रजन स्थिति	पर्मनन्ट रेज़िडन्ट	पर्मनन्ट रेज़िडन्ट
शादी के वर्षों की संख्या *: 15 बच्चे *: बेटा: आदित्य (13 वर्ष, भारतीय नागरिक) बेटा: अर्जुन (7 वर्ष, कनाडा का नागरिक)		

* फैमली कोर्ट (परिवार न्यायालय) के आवेदन के समय

अप्रवासी समुदायों में घरेलू हिंसा: केस स्टडी (अध्ययन)

पूर्व आव्रजन इतिहास

भारत में, शोवा ने एक इंटीरियर डिजाइनर के साथ-साथ एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचारिका (होस्टस) के रूप में काम किया। अनंत भारत में एक आयात / निर्यात व्यवसाय के मालिक थे और कनाडा में आप्रवासन करने पर इस व्यवसाय का विस्तार किया। शोवा भारत और कनाडा दोनों में व्यापार और बिक्री और विपणन (मार्कटिंग) में शामिल थी, । शोवा और अनंत शादी के बाद अनंत के बड़े परिवार (16 लोगों से बना) में रहते थे। उनकी शादी की दो शर्तें थीं कि शोवा मांस, प्याज और लहसुन खाना छोड़ देंगी (क्योंकि यह उनके धर्म में अनुमति नहीं थी) और वह अपने परिवार से सभी संबंध तोड़ लेंगी। अनंत जैन धर्म के कट्टर अनुयायी थे। अनंत की मान्यताओं के समर्थन में, शोवा ने शादी करने पर मांस खाना छोड़ दिया लेकिन अनंत हमेशा इस बात पर अविश्वास करता था कि वह प्रतिबंध का पालन करती है।

शोवा और अनंत का विवाह शुरू से ही अस्थिर था क्योंकि वह जैन नहीं थी और क्योंकि वह एक समुदाय से आई थी जहाँ मांस, प्याज और लहसुन खाने की अनुमति थी। उनकी शादी के एक साल बाद अनंत ने शोवा के साथ मारपीट की। इसके बाद, वह और उसका परिवार चाहता था कि विवाह टूट जाए, ताकि वह जैन समुदाय के भीतर शादी कर सके। उसे कहा गया कि वह वैवाहिक घर छोड़कर अपने माता-पिता के घर लौट जाए। परिवारों के बीच चर्चा के बाद उन्होंने सुलह की। हालाँकि, शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक और यौन शोषण जारी रहा।

इसके कुछ समय बाद, शोवा ने पाया कि वह गर्भवती थी। गर्भावस्था के दौरान उसे दो बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक बार, अनंत ने उसे लात मारी और उसे एक ठंडे मार्बल (संगमरमर) के फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया। दूसरी बार, अनंत ने उसे बाथटब में धकेल दिया क्योंकि वह गुस्सा था कि उसने इसे साफ नहीं किया था और उसे पेट में चोट लगी थी।

अनंत के चचेरे भाई ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां वह भ्रूण की निगरानी के लिए इन्टेन्सिव केयर यूनिट (आईसीयू) में पांच दिनों तक रही। शोवा ने अपने डॉक्टर को घटना के बारे में बताया और अनंत को अस्पताल से दूर रहने के लिए कहा गया। जब शोवा के परिवार ने अनंत को उसके व्यवहार के बारे में पूछा, तो वह उनके प्रति अपमानजनक था।

शोवा ने 2002 में अपने बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, क्योंकि ऐसी आशंका थी कि अनंत बच्चे का अपहरण कर लेगा। इस धमकी से कोई फायदा नहीं हुआ और शोवा ने अपने बेटे के शुरुआती वर्षों में अमरीका में यात्रा की, अनंत को अपना व्यवसाय बनाने में मदद की। पांच साल बाद, शोवा और अनंत 2007 में एक टेम्परेरी वर्क वीजा के तहत कनाडा में आ गए और दिसंबर 2009 में उन्हें स्टार्ट अप वीजा के तहत पर्मनन्ट रेजिडेंसी प्रदान की गई। उन्होंने तुरंत अपने भारतीय आयात / निर्यात कारोबार का विस्तार किया। शोवा ने सेल्स और मार्केटिंग में काम किया।

कनाडा में बसना

शोवा ने पारिवारिक व्यवसाय की स्थापना का समर्थन करते हुए एक बड़े घर सुधार रिटेलर के लिए काम करना शुरू कर दिया था, अभी तक पारिवारिक व्यवसाय एक स्थिर आय / लाभ प्रदान नहीं कर रहा था। वह घर के कामों और अपने बेटे की देखभाल करने के लिए भी ज़िम्मेदार थी। उनके पास एक कार थी और कभी-कभी शोवा को आधे घंटे, देर रात और ठंड में घर चलना पड़ता था, जब अनंत अपने घर लाना भूल जाता था। उसका भारत में उसके परिवार से बहुत कम संपर्क था, क्योंकि अनंत ने अपने परिवार के साथ उसका संपर्क सीमित कर दिया था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था क्योंकि अनंत उसके नियंत्रित व्यवहार से उन्हें डराता था। कनाडा आने के एक साल बाद, शोवा ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। जन्म मुश्किल था, और बच्चा सी-सेक्शन द्वारा दिया गया था। अनंत ने उसकी या बच्चे की परवाह नहीं की।

अनंत का सारा ध्यान अपने व्यवसाय पर था और दंपति ने 2009 में इसके विस्तार के लिए जमीन लीज पर ली थी। अपनी नौकरी से शोवा का सारा पैसा पारिवारिक व्यवसाय में खर्च हो गया था। अगले वर्ष, उन्होंने अपना वैवाहिक घर खरीदा।

घरेलु हिंसा

अनंत उनकी शादी की शुरुआत से ही अपमानजनक थे। उन्होंने उस पर अफेयर रखने का भी आरोप

लगाया। शोवा ने दुर्व्यवहार के बारे में कभी नहीं कहा, क्योंकि अनंत समुदाय में अच्छी तरह से सम्मानित थे और वह अपनी छवि की रक्षा करना चाहती थी। स्थिति तब और खराब हो गई जब शोवा को 2012 में पूर्णकालिक मैनजर के रूप में प्रमोट किया गया। अनंत के साथ विचार-विमर्श के बाद, वह नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए सहमत हुई। इस दौरान, अनंत और भी नियंत्रित हो गए। वह उसे फ़ोन कॉल करता और दिन में कई बार उसके काम पर जाता, उसके काम में हस्तक्षेप करता और उसके सहकर्मियों को असहज करता। अनंत ने शोवा के बैंक खाते का पूरा नियंत्रण ले लिया, खर्च, निवेश और क्रेडिट कार्ड की निगरानी की। अनंत के व्यवहार, उसकी दिनचर्या (काम और घरेलू दोनों), और बच्चों की देखभाल के कारण, शोवा को तनाव का सामना (स्ट्रेस अटैक) करना पड़ा और उसे टेम्परेरी पैरलाइसिस् के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया।

शोवा और अनंत ने अपना पहला घर बेच दिया और 2013 में एक नया घर खरीदा और बच्चों ने एक नया स्कूल शुरू किया। इस कदम के तुरंत बाद, अनंत ने अपने बड़े बेटे को बुरी तरह पीटा, जिससे उसके चेहरे पर निशान पड़ गए। कुछ दिनों बाद, उनके छोटे बेटे ने स्कूल को बताया कि क्या हुआ था। स्कूल ने शोवा को बुलाया और उसे बताया कि उसके बच्चों की सुरक्षा करना उसकी ज़िम्मेदारी है। घर में सी ए एस आने के बाद, अनंत ने लड़कों के शारीरिक शोषण को रोक दिया, लेकिन मौखिक रूप से उन्हें चोट पहुंचाना जारी रखा। सीएएस द्वारा सिफारिश के अनुसार लड़कों को काउंसलिंग का समर्थन किया गया था।
2014 में अनंत ने शोवा पर इतनी बुरी तरह से हमला किया कि वह 2 दिनों तक काम से दूर रही और उसे चलने में समस्या हुई। लड़ाई शुरू हो गई क्योंकि वह चाहता था कि वह एक कम-कट वाली नेकलाइन वाली ड्रेस पहने, जो एक व्यवसायिक कार्यक्रम के लिए उसकी छाती को उजागर करे। जब शोवा ने विरोध किया, तो उसने उसे मारा और उसे अलमारियों में फेंक दिया। उसने शोवा के कपड़े फाड़ दिए, जब तक कि वह वह पहनने को तैयार नहीं हुई जो वह चाहता था। वह शारीरिक रूप से आहत थी लेकिन डॉक्टर के पास नहीं गई और दो दिन की छुट्टी के बाद वापस काम पर चली गई। उसने अपने सहकर्मियों से अपना दर्द छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब वह सफलतापूर्वक ऐसा करने में असमर्थ थी, तो एक सहकर्मी ने कंपनी के ह्यूमन रेसोर्स ऑफ़िस (मानव संसाधन कार्यालय) को संदिग्ध हिंसा की सूचना दी। शोवा को सहायता और परामर्श के लिए एक हेल्पलाइन पर कॉल करने की सलाह दी गई। नवंबर 2014 में, अनंत ने एक कोर्पोरेशन (निगम) शुरू किया और दस्तावेजों पर उसकी सहमति या ज्ञान के बिना शोवा के नाम पर हस्ताक्षर किए। अगले कुछ वर्षों में, उन्होंने वित्तीय लाभ के लिए धोखाधड़ी जारी रखा।

फरवरी 2015 में, उन्होंने हिंसक रूप से झगड़ा किया और अनंत ने शोवा को घर से बाहर निकाल दिया। अनंत ने उससे कहा कि अगर वह कभी लौटती है, तो वह उसे मार देगा। वह हिल गई, काम पर गई और पूरे दिन बच्चों की सुरक्षा को लेकर अनंत को फोन किया। अनंत ने उसके फोन कॉल को नजरअंदाज कर दिया। उसे एक दोस्त के साथ कुछ समय के लिए रहने की जगह मिली क्योंकि उसे नहीं लगा कि घर वापस जाना सुरक्षित है। अगले कुछ हफ्तों में अनंत ने उसे घर वापस लाने की कोशिश की। अप्रैल 2015 में उन्होंने ओवरडोज से खुद को मारने की धमकी दी और इसके लिए शोवा को दोषी ठहराया। वह उस शाम अपने बच्चों से मिलने गई और उस दौरान अनंत ने उस पर खुद को मजबूर किया, चाकू निकाला और दोनों को जान से मारने की धमकी दी। आतंकित, शोवा ने 911 पर कॉल किया। पुलिस पहुंच गई और अनंत को अस्पताल ले जाया गया, हालांकि, आरोप नहीं लगाए गए थे। क्योंकि इस घटना के साक्षी बनने के बाद बच्चे डर गए थे, शोवा उन्हें एक रात के लिए अपने घर ले गई। अगले दिन, अनंत अस्पताल से रिहा हो गया और उसने अपने बच्चों को स्कूल से उठाया। लड़के गुप्त रूप से अपनी माँ के पास पहुँचने लगे।

उनके अलग होने के दौरान, अनंत ने अपने संयुक्त बैंक खाते को समाप्त कर दिया और शोवा को कुछ नहीं मिला। वैवाहिक घर में शोवा के बिना असंगति थी, और बड़ा लड़का, जो उस समय बारह था, अक्सर अपने छोटे भाई के लिए सरोगेट माता-पिता के रूप में काम करता था; यहां तक कि आवश्यकतानुसार दवा भी दी।

शोवा और अनंत ने पेरेंटिंग व्यवस्था पर बातचीत की। अनिवार्य रूप से, शोवा, अलग रेहकर, वैवाहिक घर जाती, लड़कों को जगाती और उनके दिन की तैयारी करती । शोवा उनके स्कूल की ज़रूरतों को व्यवस्थित करने, लंच तैयार करने, कपड़े धोने, घर को साफ़ करने और फिर उन्हें स्कूल छोड़ने की व्यवस्था करती । कुछ शामें वह यात्रा करती थीं, लेकिन वह कभी भी लड़कों को अपने घर पर नहीं देख सकती थीं और न ही उन्हें वीकेन्ड (सप्ताहांत) के लिए बुला सकती थीं।

संकल्प

अनंत ने अपने बच्चों को छोड़ने के लिए शोवा को दोषी ठहराया। शोवा ने एक वकील से मदद मांगी और बच्चों की जॉइन्ट कस्टडी के लिए कहा, जिसमें चाइल्ड और समर्थ स्पाउज़ल सपोर्ट शामिल हैं। शोवा ने यह भी अनुरोध किया कि ऑफ़िस ओफ़ द चिल्डरेन्स लौयर (बच्चों के वकील का कार्यालय) स्वतंत्र रूप से बच्चों की वकालत करने के लिए शामिल हो। यह अनुरोध मंजूर कर लिया गया। 2016 में अदालत ने दोनों पक्षों को

पिता के साथ बच्चों के प्राथमिक निवास और जॉइन्ट कस्टडी दी। एक फ़ाइनेन्शिअल सेट्ट्लमेन्ट (वित्तीय निपटान) के माध्यम से संपत्ति के मुद्दों को हल किया गया था। वर्तमान में अनंत और शोवा दोनों नए साथी के साथ शामिल हैं।

केस स्टडी (अध्ययन) नंबर 12: बीना और उदीप

प्रालेख	महिला	पुरुष
नाम	बीना	उदीप
शादी के समय उम्र	23	सूचना उपलब्ध नहीं
उम्र *	55	सूचना उपलब्ध नहीं
उद्गम देश	भारत	भारत
धर्म	ईसाई	हिंदू
शिक्षा	नर्सिंग की डिग्री	अन्डर्ग्रैजूइट
अंग्रेजी भाषा की क्षमता	प्रवीण	प्रवीण
रोज़गार प्रवास से पहले	नर्स	सूचना उपलब्ध नहीं
रोज़गार *	अंतिम संस्कार घर में काम किया	सूचना उपलब्ध नहीं
आव्रजन श्रेणी	बीना विज़िटर वीजा पर पहुंचे और कनाडा से रेफ्यूजी की स्थिति के लिए आवेदन किया।	वह कभी भी कनाडा नहीं आया
आव्रजन स्थिति	ह्यूमैनिटेरीअन और कम्पैशनेट ग्राउन्ड्ज़ (मानवता और अनुकंपा के आधार पर आप्रवास के लिए आवेदन किया।)	सूचना उपलब्ध नहीं
शादी के वर्षों की संख्या *: 29 (1986-2015, वे 2010 में अलग हो गए)।		

अप्रवासी समुदायों में घरेलू हिंसा: केस स्टडी (अध्ययन)

बच्चे *:	बेटा: विजय (मई 1987 को जन्म - 2009 में मोटरसाइकिल दुर्घटना के कारण विकलांगता)
	बेटा: राजू (15 वर्ष; एडीएचडी; स्ट्रेस डिसॉर्डर) और वीडियो गेम की लत है।

* फैमली कोर्ट (परिवार न्यायालय) के आवेदन के समय

पूर्व आव्रजन इतिहास

बीना और उदीप ने एक अंतर-धर्म लव मैरिज की थी जिसे उनके परिवारों में से किसी ने भी स्वीकार नहीं किया था। शादी पर, उसके परिवार ने उसके साथ सभी संबंधों को तोड़ दिया। बीना तेरह साल (1997 से 2010) तक उदीप के साथ बहरीन में रहीं। उसका बड़ा बेटा बहरीन, परिवार के साथ नहीं गया और भारत में ही रहा, उसका छोटा बेटा बहरीन में पैदा हुआ था। बीना को वैवाहिक बलात्कार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, उसका पूर्व पति अपने सबसे छोटे बच्चे राजू को मारता था और मौखिक रूप से उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। बीना ने भारत में पुलिस को दुर्व्यवहार की रिपोर्ट नहीं दी क्योंकि उसके पति ने उसे मारने की धमकी दी थी यदि उसने इसकी सूचना दी। उसने वर्क वीजा पर बहरीन में रहने के दौरान पुलिस को दुर्व्यवहार की रिपोर्ट नहीं दी, क्योंकि उसे चिंता थी कि उसका वीजा रद्द कर दिया जाएगा, और वे सभी भारत भेज दिए जाएंगे। बीना ने भारत में रहते हुए पुलिस को एक कॉल किया और इसके परिणामस्वरूप पिटाई हुई।

कनाडा में बसना

दुरुपयोग के वर्षों के पीड़ित होने के बाद बीना 25 सितंबर, 2010 को बहरीन से बेटे राजू के साथ विजिटर वीजा पर कनाडा चली गई, तब वह नौ साल का था। उसका बड़ा बेटा भारत में ही रहा। बीना का कनाडा में कोई परिवार या दोस्त नहीं था। आने के एक महीने बाद, उसने अपने और राजू के लिए रेफ्यूजी की स्थिति के लिए आवेदन किया। दो साल बाद, उसके शरणार्थी के दावे को खारिज कर दिया गया क्योंकि उसके पास घरेलू हिंसा का कोई सबूत नहीं था। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि वह मूल रूप से भारत से आई थी, जो कि कनैडीअन इमग्रेशन ऐन्ड रेफ्यूजी बोर्ड (कनाडाई आप्रवासन और शरणार्थी बोर्ड) द्वारा बनाई गई सुरक्षित देश

सूची में थी, उसके खिलाफ काम किया। उसने इस फैसले को अपील करने की कोशिश की जिसे फ़ेडेरल कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था। बीना ने डेढ़ साल बाद ह्यूमैनिटेरीअन और कम्पैशनेट ग्राउन्ड्ज़ (एचएंडसी) के आधार पर स्थायी निवास के लिए आवेदन किया, जिससे अदालतों को असामान्य, और कठिनाइयों की स्थितियों पर विचार करने के लिए कहा गया, जो कि भारत लौटने के बाद बीना के साथ होने वाली थीं। इस आवेदन को भी खारिज कर दिया गया। इससे पहले उसे वर्क परमिट मिला था और वह कनाडा में काम कर सकती थी। उसने 2015 में एक दूसरा एच एंड सी आवेदन किया जिसे भी अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उसने कनाडा में रहने वाले पांच वर्षों में फ़ुल टाइम रोजगार प्राप्त नहीं किया था। बीना और राजू दोनों के लिए डिपोर्टेशन ओर्डर (निर्वासन आदेश) जारी किया गया था, जो उसने अपील की थी। अपील सुनने तक डिपोर्टेशन ओर्डर रोक दिया गया था। राजू निर्वासित होने की संभावना से घबरा गया और उसने बीना से कहा कि अगर ऐसा होता है तो वह उससे दूर भाग जाएगा ।

घरेलु हिंसा

कनाडा में रहने के दौरान बीना को अपने पति के हाथों घरेलू हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन डीपोर्टेशन के डर और भारत और बहरीन में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार से जारी आघात से उन्हें लगातार तनाव का सामना करना पड़ा। उदीप ने अपनी मां (जो भारत में रहती है) को बताया था कि वह बीना के लौटने का इंतजार कर रहा है और अगर उसने वापसी नहीं की तो उसके खिलाफ धमकी दी। अगर उसे डिपोर्ट किया गया और भारत लौटने के लिए मजबूर किया गया, बीना इसके डर में रहती थी। बीना ने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया, जो उसके पूर्व पति के हाथों हुए शोषण की यादों से प्रेरित है।

बीना को अपने बेटे के हाथों शारीरिक हिंसा का भी सामना करना पड़ा। उसके बेटे ने पिछले दुर्व्यवहार के प्रभावों से निपटने के साथ-साथ डीपोर्टेशन से भयभीत होकर स्कूल में परेशानी शुरू कर दी।
उनके एडीएचडी, स्ट्रेस डिसॉर्डर और गेमिंग की लत ने बीना के लिए उन्हें संभालना मुश्किल बना दिया है।
जुलाई 2015 में बीना ने अपने एच एंड सी एप्लिकेशन को मंजूरी मिलने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए बस चालक के रूप में काम करना शुरू किया।

उसने समाज में भी स्वेच्छा (वालन्टीर) से काम किया। वह एक क्षेत्र में रहती थी, लेकिन बस चालक के रूप में दूसरे क्षेत्र में नौकरी करती थी। यह विभाजन शिफ्ट का काम था जिसमें सत्रह घंटे की शिफ्ट शामिल थी। काम के घंटों के दौरान, उसका बेटा अकेला था, और उसकी गेमिंग की लत खराब हो गई। उसने गेम खेलने के लिए बीना के क्रेडिट कार्ड चुराने शुरू कर दिए। जब बीना उससे पूछती, तो वह गाली-गलौज करता और उसे जान से मारने की धमकी देता। अप्रैल 2016 में, राजू ने बीना पर हमला किया। उसने धक्का देकर उसे गिरा दिया। बीना ने 911 पर कॉल किया। राजू को आरोपित किया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसे कर्फ्यू की स्थिति में घर भेज दिया गया और चिल्ड्रन्स एड सोसाइटी शामिल हो गई।

मई 2016 में उसने अपनी जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया और घर नहीं लौटा। उसके गायब होने के बाद बीना ने पुलिस को फोन किया। वह चार दिनों के बाद पाया गया और अदालत में ले जाया गया जमानत शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। बीना ज़मानत देने के लिए अदालत में पेश नहीं हुई और इस वजह से सी ए एस ने राजू की ज़िम्मेदारी ली। बीना को एक पुलिस अधिकारी ने सलाह दी थी कि सीएएस को बच्चे की देखभाल के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी लेने की अनुमति दी जाए ताकि वे उसके लिए उचित समर्थन पा सकें। इसके परिणामस्वरूप राजू को सीएएस देखभाल में रखा गया और एक फॉस्टर होम भेजा गया। इस दौरान राजू (अब 16 वर्ष) ने अपने वकील से कहा कि वह अपनी माँ की देखभाल में नहीं लौटना चाहता है और क्राउन वार्ड बनना चाहता है। बीना राजू की इच्छाओं को स्वीकार करती है, और वह अक्टूबर 2017 में क्राउन वार्ड बन गया । बीना को बच्चे की इच्छा के अनुसार मिलने का अधिकार मिला।

बीना ने कनाडा में कई संसाधनों का उपयोग किया है। सबसे पहले, उसने अपने इमग्रैशन और रेफ्यूजी दावों की मदद करने के लिए एक नौन प्रोफ़िट लिगल क्लिनिक का उपयोग किया। इसके अलावा, उसने कनाडा आने से पहले अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की प्रक्रिया में मदद करने के लिए कम्यूनिटी काउंसलर प्राप्त किया।

उसने अंग्रेजी को दूसरी भाषा (ईएसएल) कक्षाओं के रूप में भी लिया है और अपने बेटे के साथ संबंध सुधारने में उसकी मदद करने के लिए पेरन्टींग की कक्षाएं ली हैं।

अप्रवासी समुदायों में घरेलू हिंसा: केस स्टडी (अध्ययन)

संकल्प

अक्टूबर 2017 में, राजू क्राउन वार्ड बन गया और सी ए एस ने अपने इमग्रैशन (आव्रजन) आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए एक आव्रजन वकील को काम पर रखा। उस समय से, उसने अपनी माँ के साथ संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद बीना ने दिसंबर 2017 में अपना अलग एचएंडसी आवेदन दायर किया। इस आवेदन पर विचार नहीं किया गया और कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी ने बीना को 21 जनवरी, 2018 को भारत भेज दिया।

केस स्टडी (अध्ययन) नंबर 13: एल्हम और दाऊद

प्रालेख	**महिला**	**पुरुष**
नाम	एल्हम	दाऊद
शादी के समय उम्र	20	41
उम्र	35	56
उद्गम देश	सूचना उपलब्ध नहीं	सूचना उपलब्ध नहीं
धर्म	मुसलमान	मुसलमान
शिक्षा	हाई स्कूल (जर्मनी)	बैचलर औफ इंजीनियरिंग
अंग्रेजी भाषा की क्षमता	प्रवीण	प्रवीण
रोज़गार प्रवास से पहले	बेरोज़गार	मध्य पूर्वी देश
रोज़गार *	बेरोज़गार	कर्मचारी
आव्रजन श्रेणी	फैमिली क्लास: दाऊद ने स्पाउज़ल स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत एल्हम को प्रायोजित किया। (1995)	स्टूडन्ट वीजा (1980 में)।
आव्रजन स्थिति	सिटिज़न	सिटिज़न
शादी के वर्षों की संख्या *: 13 बच्चे *: बेटा: फारूक (11 वर्ष) बेटी: गुलशन (8 वर्ष)		

* फैमली कोर्ट (परिवार न्यायालय) के आवेदन के समय

अप्रवासी समुदायों में घरेलू हिंसा: केस स्टडी (अध्ययन)

पूर्व आव्रजन इतिहास

दाऊद पहले से ही पंद्रह साल से कनाडा में रह रहा था, अपनी शादी से पहले एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। वह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार से है जो अपने देश की सरकारी गुप्त सेवा से जुड़ा था। दाऊद ने शादी करने के एक साल बाद 1995 में कनाडा में रहने के लिए एल्हम को प्रायोजित किया। एल्हम और उसके पति के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है; वह उससे बीस साल छोटी है। एल्हम ने कहा कि वह एक छोटी महिला से शादी करना चाहता था ताकि वह अपनी पत्नी को हावी हो सके और उसे नियंत्रित कर कर सके।

कनाडा में बसना

कनाडा पहुंचने पर, एल्हम अपनी दंत चिकित्सा शिक्षा को पूरा करने के लिए स्कूल लौटना चाहती थी । दाऊद ने ऐसा करने के लिए उसका समर्थन नहीं किया । दाऊद ने उसे बताया कि वह चाहता था कि वह घर की देखभाल करे और अपना परिवार शुरू करे। वह बच्चों की देखभाल करने, स्कूल में बच्चों की मदद करने, अन्य गतिविधियों और स्वास्थ्य देखभाल के लिए जिम्मेदार थीं। एल्हम की एक बहन कनाडा में रहती है, लेकिन उसका बाकी परिवार अपने देश में ही रहा।

घरेलु हिंसा

शादी के तुरंत बाद, एल्हम ने महसूस किया कि दाऊद का एक कनाडाई महिला के साथ लंबे समय तक रोमांटिक संबंध रहा है। वास्तव में, दाऊद ने महिला को एल्हम और दाऊद के हनीमून पर एक फोटो और वीडियोग्राफर के रूप में लाया। यह रिश्ता उनकी शादी के दौरान भी जारी रहा और महिला के पास वर्षों में सभी तीन वैवाहिक घरों की चाबी थी। वह एल्हम और दाऊद के पहले मैट्रिमोनियल घर की उनके साथ, मालिक भी थी। एल्हम को इस व्यवस्था के साथ रहना पड़ा। वह घर में अलग-थलग पड़ गई और उसके पति ने उसके समाजीकरण को नियंत्रित कर दिया। उसके पास घर की चाबी नहीं थी और वह जब चाहे तब आ-जा नहीं सकती थी।

अप्रवासी समुदायों में घरेलू हिंसा: केस स्टडी (अध्ययन)

अपनी शादी की शुरुआत से, उसे दाऊद के हाथों महत्वपूर्ण दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। दाऊद भारी, गाली और चिल्लाता था, उसे पीटता था और उसे इधर-उधर फेंक देता था। वह उसे मारने की धमकी देता था और कहता था कि 'जेल जाने पर हर मिनट की कीमत होगी अगर वह उसे मार डाले '। वह बच्चों को अपनी मां को यह बताने के लिए कहता था कि वे उससे नफरत करते हैं। बच्चों ने जारी हिंसा को देखा और वे अक्सर अपने पिता से रुकने की विनती करते थे। एल्हम ने पुलिस से संपर्क करने के बारे में सोचा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके पति ने उसे बताया कि वह बच्चों को देश से बाहर भेज देगा, और वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी। चूंकि दाऊद बच्चों के पासपोर्ट रखता था, उच्च पदों पर परिवार रखता था और दाऊद खुद एयरलाइन उद्योग में काम करता था, इसलिए यह खतरा बहुत वास्तविक था।

दाऊद लगातार बच्चों से पूछताछ करता और उनसे पूछता कि एल्हम ने दिन के दौरान क्या किया और किससे बात की। बच्चे अपनी मां के बारे में यह जानकारी देने को तैयार नहीं थे। सजा के रूप में, दाऊद हमेशा बच्चों के खिलौने और खेल लेता था। वह क्रोधित हो जाता और बच्चों पर चिल्लाता। खेल और स्कूल दोनों में अपनी उम्मीदों को पूरा नहीं करने के लिए, दाऊद उनके साथ बहुत आक्रामक था। उनके व्यवहार में बदलाव आता रहा क्योंकि कभी-कभी वह उन्हें उपहार देते थे। इस असंगति के परिणामस्वरूप, बच्चे उससे डरते थे।

एल्हम ने अपने परिवार के डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का खुलासा किया और उसने लक्षणों के लिए उसका इलाज करना शुरू कर दिया। वर्षों से दवा की मदद से उसके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है। एल्हम ने कहा कि जैसे-जैसे समय बीतता गया, वह समझदार, मजबूत, और दुर्व्यवहार को कम सहन करने लगी। दुर्भाग्य से, उसके पति ने उसे बर्दाश्त करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया दी और दुरुपयोग केवल बढ़ा।

बच्चों को निर्देश दिया गया था कि वे एल्हम को माँ 'न कहें। वह अपने घर में एक नौकर की तरह पेश आती है। एल्हम के पास अपना कोई पैसा नहीं था और दाऊद ने उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं दी।

जब बच्चे स्कूल में थे तब एल्हम ने एक रियल एस्टेट सहायक के रूप में अंशकालिक काम करना शुरू किया। उसने पहले अपना रिअल एस्टेट लाइसेन्स प्राप्त किया था, लेकिन दाऊद ने उसे रिन्यु नहीं करने दिया। वह नहीं चाहता था कि वह काम करे। दाऊद ने जोखिम भरे वित्तीय निर्णयों और वित्तीय धोखाधड़ी से $ 600,000 का महत्वपूर्ण कर्ज़ बनाया था, जिसमें एल्हम के नाम पर छत्तीस क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना शामिल था। अपनी शादी के दौरान दाऊद ने एल्हम के साथ एक समझौते के साथ संपर्क किया था जिसमें कहा गया था कि उसके पास बच्चों की कस्टडी होगी और अगर वह अलग होना चाहते हैं तो वह उसे एक निश्चित राशि का भुगतान करेगी ।

मार्च 2008 में, एल्हम का परिवार एक अन्य परिवार के साथ एक सप्ताह के क्रूज पर चला गया। दाऊद ने यात्रा पर शराब पी और पहले से ही विघटनकारी होने के लिए जहाज के कर्मचारियों द्वारा संपर्क किया गया था।

एक रात एक तर्क के बाद, एल्हम डर गयी और अपने दोस्तों के केबिन में छिप गयी । दाऊद ने उसे पाया और अपने दोस्तों के सामने उसे मुक्का मारा। उसने कहा कि वह उसे मारने और जहाज को पानी में फेंकने जा रहा है। एल्हम के केबिन में लड़ाई जारी रही, जहां उन्होंने उसे मारना जारी रखा और उसके कपड़े फाड़ दिए। एल्हम जहाज के सुरक्षा अधिकारी को बताने में कामयाब रही और उन्होंने यात्रा के शेष समय के लिए एक कमरा सुरक्षित कर लिया। क्रूज के बाकी तीन दिनों तक दाऊद बच्चों के साथ रहा और इस दौरान उनकी मां के खिलाफ उनको भड़काने की कोशिश की।

क्रूज से वापस आने पर, एलाम उसी शहर में अपनी बहन के साथ रहने के लिए गयी, लेकिन दाऊद के काम पर जाने, साफ-सफाई करने और बच्चों की देखभाल करने के लिए वैवाहिक घर वापस चला गयी । अपनी बहन के समर्थन से उसने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उस समय उसने एक बयान देने से मना कर दिया। दो महीने बाद वह वापस वैवाहिक घर में चली गई लेकिन उसे बेसमेन्ट में वापस भेज दिया गया।

घर वापस आने के कुछ हफ़्ते बाद, दाऊद ने एल्हम को एक टूटी हुई बीयर की बोतल उसके गले में डालने की धमकी दी, और मांग की कि वह काम करना बंद कर दे। एल्हम सहमत हो गयी ।एक हफ्ते बाद, एक और तर्क था जहां एल्हम ने दाऊद से बच्चों के बारे में सवाल पूछा और एल्हम की चीजों के खोज के बारे में

पूछा । दाऊद ने उसे एक कैमकॉर्डर के साथ रिकॉर्ड करके ताना मारना शुरू कर दिया (जैसा कि उसने कभी-कभी किया था)। एल्हम ने कैमकॉर्डर को हथियाने की कोशिश की, लेकिन दाऊद ने उसे फर्श पर धकेल दिया, जहां वह गिर गयी, उसके सिर पर चोट लगी, उसकी कोहनी पर चोट लगी और उसकी गर्दन पर चोट लगी। उसने दाऊद से कहा कि वह अब हिंसा के साथ नहीं रहेगी। उसने पुलिस को बुलाया और उन्होंने उसे एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। अफसरों ने दाऊद को व्यस्त रखा, जबकि एल्हम ने सामान पैक किया।

वह बच्चों के साथ एक आश्रय में चली गई। कोई आरोप नहीं लगाया गया और दाऊद ने पुलिस को समझाने की कोशिश की कि एल्हम ने उस पर हमला किया। चिल्ड्रन एड सोसाइटी को बुलाया गया था, और बच्चों को हिंसा के संबंध में आश्रय में काउंसलिंग प्राप्त हुआ। एल्हम ने अपने पति के खिलाफ रिस्टर ऐनिङ ओर्डर मांगा, जिसे सोलह महीने तक लागू रखा गया। उसने खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने और परिवार के लिए संघर्ष को कम करने के लिए विश्वास करते हुए रिस्टर ऐनिङ ओर्डर को समाप्त कर दिया।

संकल्प

रिस्टर ऐनिङ ओर्डर के समाप्त होने के बाद, अदालत के हस्तक्षेप के साथ, एल्हम और उसके पति, एक विसिटेशन (मुलाक़ात) के लिए सहमत हुए। एक साल बाद, दाऊद और बच्चों के साथ एक घटना हुई और उन्होंने उसे छह (6) महीने तक नहीं देखा। चिल्ड्रन एड सोसाइटी शामिल हुई । एल्हम की इच्छा एक नया जीवन शुरू करना और अपने बच्चों के लिए स्थिरता, प्यार और देखभाल प्रदान करना है। दाऊद घटनाओं के एक अलग संस्करण के साथ अदालतों को गुमराह करने की कोशिश जारी रखता है। ऑफ़िस ओफ़ द चील्डरेन्स लॉयर (OCL) बच्चों के सर्वोत्तम हित का ध्यान रखने के लिए शामिल है। एल्हम जोइन्ट कस्टडी की मांग कर रही है और बच्चों से मिलने का समर्थन करेगा, अगर पति क्रोध और पीने के मुद्दों के लिये काउंसलिंग प्राप्त करें । वह चाइल्ड और स्पाउसल समर्थन मांग रही है।

केस स्टडी (अध्ययन) नंबर 14: रितु और सतिंदर

प्रालेख	**महिला**	**पुरुष**
नाम	रितु	सतिंदर
शादी के समय उम्र	27	29
उम्र *	28	30
उद्गम देश	भारत	भारत
धर्म	सिख	सिख
शिक्षा	अंडरग्रेजुएट	अंडरग्रेजुएट
अंग्रेजी भाषा की क्षमता	प्रवीण	प्रवीण
रोज़गार प्रवास से पहले	आई टी	सूचना उपलब्ध नहीं
रोज़गार *	फास्ट फूड चेन में काम करती है	ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर
आव्रजन श्रेणी	फ़ैमिली क्लास्स: सतिंदर ने स्पोउसल स्पोन्सोर्शिप प्रोगाम् के तहत रितु को स्पान्सर किया	सूचना उपलब्ध नहीं
आव्रजन स्थिति	पर्मनन्ट रेज़िडन्ट	सिटिज़न
शादी के वर्षों की संख्या *: 1 बच्चे *: कोई बच्चे नहीं		

* फैमली कोर्ट (परिवार न्यायालय) के आवेदन के समय

पूर्व आव्रजन इतिहास

रितु के पास भारत से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री थी। जब वह पढ़ रही थी, उसने भारत में एक बड़ी वेब डिज़ाइन और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के साथ पूर्णकालिक काम किया। उसने अपने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के अध्ययन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यबल छोड़ दिया, लेकिन एक वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी के रूप में एक छोटे वेब समाधान प्रदाता के साथ काम करते हुए, अपनी शादी के बाद नौकरी फिर से शुरू कर दी। कनाडा जाने की तैयारी करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्रणाली परीक्षा (Ielts) के लिए अध्ययन करने के लिए उसने पाँच (5) महीने के बाद पद छोड़ दिया। हालांकि, अप्रैल 2016 में सतिंदर स्पाइनल सर्जरी के लिए भारत आया और रितु ने आइलेट्स की परीक्षा पूरी नहीं की, क्योंकि वह उसके ठीक होने में उसकी देखभाल कर रही थी।

रितु और सतिंदर की मुलाकात दक्षिण एशियाई लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई एक वैवाहिक वेबसाइट पर हुई थी। वे दूर से एक-दूसरे से बात करने लगे और अपनी शादी से पहले एक साल तक लगातार संपर्क में रहे। अपनी शादी के समय रितु सत्ताईस साल की थी और सतिंदर उनतीस साल का था। सतिंदर का परिवार भारतीय परंपरा के अनुसार उन्हें "शगुन" देने के लिए भारत आया था। शादी से पहले, सतिंदर ने वैवाहिक वेबसाइट पर एक धन्यवाद पत्र लिखा, जिसमें उनके सफल परिचय के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। उनकी शादी भारत में हुई थी। अपने हनीमून के बाद सतिंदर कनाडा लौट आए। दंपति रोज फोन पर बात करते थे, कभी-कभी चार घंटे तक। अपनी बातचीत के दौरान, सतिंदर ने कनाडा में उतरने के बाद अपनी शिक्षा के उन्नयन में रितु का समर्थन करने का वादा किया, ताकि वह सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में अपना करियर बना सके। शादी के एक साल बाद, रितु स्पॉन्सर प्रायोजन कार्यक्रम के तहत स्थायी निवासी के रूप में कनाडा पहुंची।

कनाडा में बसना

कनाडा में रितु के आने के कुछ समय बाद, सतिंदर ने सिफारिश की कि रितु एक स्थिर आय प्राप्त करने के लिए नौ महीने के दंत सहायक कार्यक्रम को पूरा करे और उसके बाद ही, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाए। उन्होंने कनाडा पहुंचने के दो महीने बाद अपने दंत सहायक के लिए कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। हालांकि, जब छात्र ऋण के लिए आवेदन करने का समय था, तो सतिंदर ने सह-हस्ताक्षरकर्ता बनने से इनकार कर दिया और उसने फैसला किया कि यह उसके लिए संभव विकल्प नहीं था।

कनाडा पहुंचने के चार महीने बाद, रितु ने पूर्णकालिक फैक्ट्री मजदूर के रूप में काम किया और एक महीने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तब से वह आर्थिक रूप से खुद का समर्थन नहीं कर पाई है।

घरेलू हिंसा-

जब रितु मई 2016 में कनाडा में आई, तो वह सतिंदर और उसके माता-पिता के साथ रहने लगी। अपने आगमन के पंद्रह दिनों के भीतर, सतिंदर ने उन्हें सूचित किया कि उनके एक पुरुष यौन साथी थे और उन्हें अपनी यौन अभिविन्यास को छुपाने के लिए एक पत्नी की आवश्यकता थी। रितु से शादी से पहले उनके माता-पिता को उनके यौन रुझान के बारे में पता था। रितु के अनुसार, सतिंदर ने हनीमून के दौरान शादी का उपभोग किया ताकि उसे अपनी यौन अभिविन्यास पर संदेह न हो।

सतिंदर ने रितु को बताया कि वह अपने पुरुष साथी और उन दोनों के साथ दूसरे घर में एक साथ रहना चाहता है, एक विचार रितु ने अस्वीकार कर दिया। सतिंदर ने उसे बताया कि उस मामले में, वह उसके माता-पिता के साथ रहना जारी रखेगी, जबकि वह अपने पुरुष साथी के साथ रहने लगा।

अलग रहने लगने के बाद, सतिंदर नियमित रूप से अपने परिवार से मिलने आता रहा। एक मुलाकात में सतिंदर ने रितु के साथ उसकी मर्जी के बिना शारीरक सम्बन्ध बनाये थे। रितु शुरू से ही सतिंदर और उसके ससुराल वालों से मौखिक, शारीरिक और यौन शोषण सह रही थी । उसके ससुराल वालों का मानना था कि सतिंदर की कामुकता परिवार के लिए शर्म की बात होगी और चाहते थे कि पत्नी की भूमिका में रितु, सतिंदर की कामुकता को परदे में रखे। ससुराल वालों ने एक खुशहाल विषम लैंगिक जोड़े की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए युगल को सामाजिक कार्यों में शामिल होने के लिए मजबूर किया। ससुराल वालों ने रितु को धमकी दी कि अगर उसने पालन नहीं किया तो उसकी प्रतिष्ठा नष्ट कर दी जाएगी। स्थिति के दबाव में उत्तेजित और गुस्से में सतिंदर, रितु के प्रति और अपमानजनक होता गया।

जब रितु अपने ससुराल में रहती थी, तब उन्होंने उसके सोने के गहने छीन लिए और उन्हें उसके ससुर के बैंक लॉकर में रख दिया। ससुराल वालों ने उसकी हरकतों को भी नियंत्रित किया, उसे बाहर जाने और दोस्त बनाने से मना कर किया। क्यूंकि रितु सतिंदर और उसके पुरुष साथी के साथ रहने से इंकार करती रही, तो सतिंदर

ने रितु से तलाक के लिए कहा। उसने रितु को कई बार तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। एक बार, जब उसने मना कर दिया, तो उसने उस पर दरवाजा पटक दिया, जिससे वह फर्श पर गिर गई। इस बीच सतिंदर के माता-पिता चाहते थे कि सतिंदर और रितु की शादी एक कार्यात्मक विषम लैंगिक रिश्ते के रूप में सामने आए और वह उस पर दबाव बनाए कि वह इस भ्रम को बनाये रखने के लिए एक पोता/पोती प्रदान करे।

सितंबर 2016 में, कनाडा में पहुँचने के चार महीने बाद, रितु के ससुराल वालों ने उनके माता-पिता को फोन करके बताया कि रितु का अफेयर चल रहा है। यह सरासर झूठ था। अपनी सुरक्षा के लिए डरते हुए, रितु ने पुलिस को बुलाया जो उसे एक महिला आश्रय घर की शरण में ले गई। वहां उसे पता चला कि सतिंदर ने उसके फोन पर एक ट्रैकिंग एप्लीकेशन डाल दी थी। जब रितु आश्रय में रह रही थी तो सतिंदर ने उस पर आरोप लगाया कि उसने दुर्भावनापूर्ण इरादे से सोशल मीडिया पर एक फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल बनाई है जिससे उसे नुकसान हो। उन्होंने कहा कि वह उसकी और उसके साथी की तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं। रितु ने इससे इनकार किया और अपनी जांच के दौरान पुलिस का पूरा सहयोग किया।

संकल्प

सतिंदर ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल की। रितु पति-पत्नी समर्थन और बराबरी के लिए कह रही है और चाहती है कि उसके गहने उसे लौटा दिए जाएँ। जुदाई के समय में सतिंदर की कमाई का अनुमान लगभग $ 60,000 प्रति वर्ष था। उन्हें अंतिम पति-पत्नी समर्थन निपटान के रूप में $ 2,000 की राशि प्राप्त हुई क्योंकि सतिंदर ने अपने स्नातक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपना रोजगार छोड़ दिया था और उस समय उनकी आय का एकमात्र स्रोत ओसप (OSAP) था। जब उनका मामला पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन था, तब उन्हें ओंटारियो वर्क्स से समर्थन मिला और उन्होंने अपनी भाषा और रोजगार कौशल को उन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की। रितु वर्तमान में एक सामुदायिक महाविद्यालय में द्वितीयक अध्ययन कर रही है। वह छात्र ऋण के कारण कर्ज में रह रही है।

केस स्टडी (अध्ययन) नंबर 15: आयशा और कबीर

प्रालेख	**महिला**	**पुरुष**
नाम	आयशा	कबीर
शादी के समय उम्र	25	27
उम्र *	31	33
उद्गम देश	बांग्लादेश	बांग्लादेश
धर्म	मुसलमान	मुसलमान
शिक्षा	अन्डर्ग्रैजूइट	पोस्ट्ग्रैजूइट
अंग्रेजी भाषा की क्षमता	प्रवीण	प्रवीण
रोज़गार प्रवास से पहले	छात्र	छात्र
रोज़गार *	बेरोज़गार	आई.टी.
आव्रजन श्रेणी	सूचना उपलब्ध नहीं	फैमिली क्लास: आयशा ने स्पाउज़ल स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत कबीर को प्रायोजित किया।
आव्रजन स्थिति	सिटिज़न	पर्मनन्ट रेज़िडन्ट (2005)
शादी के वर्षों की संख्या *: 6 बच्चे *: बेटा: सलीम (4 वर्ष)		

* फैमली कोर्ट (परिवार न्यायालय) के आवेदन के समय

पूर्व आव्रजन इतिहास

आयशा का परिवार कनाडा से बांग्लादेश चला गया। उनके परिवार ने इस्लाम के आध्यात्मिक रूप सूफीवाद का पालन किया। अपनी शादी के समय, आयशा एक विश्वविद्यालय (यूनवर्सिटी) की छात्रा थी। वह अपना B.A

पूरा करने की प्रक्रिया में थी, और पहले से ही अपने परिवार के साथ चार साल से टोरंटो में रह रही थी। आयशा एक प्रतिभाशाली बांग्लादेशी गायिका हैं और पेशेवर गायकों के साथ एक कलाकार के रूप में गाती हैं। उसके सभी परिवार के सदस्य कनाडाई नागरिक थे। कबीर टेक्नोलॉजी में डिग्री पूरी करके यूनाइटेड किंगडम में रह रहे थे। कबीर एक अच्छे परिवार से आते हैं, उनके पिता एयरलाइन उद्योग में एक बड़े अधिकारी थे। उनका एक अरेंज मैरिज था, दोनों परिवारों का समर्थन था। विवाह समारोह 2004 में बांग्लादेश में हुआ था।

कनाडा में बसना

आयशा ने अपनी शादी के तुरंत बाद जून 2005 में बीए पूरा किया। उसने कबीर को कनाडा आने के लिए प्रायोजित किया और वह उसके ग्रैजूऐशन होने के एक महीने बाद आया। आयशा और कबीर ने एक बड़े कनाडाई शहर में अपना विवाहित जीवन बिताया। कबीर शादी के बाद अपनी पत्नी को काम नहीं करने देते थे। कबीर ने एक बैंक के आईटी विभाग में काम पाया। शादी करने के बाद आयशा जल्दी गर्भवती हो गईं और उनके बच्चे का जन्म 2006 में हुआ।

घरेलु हिंसा

जब उन्होंने साथ रहना शुरू किया, तब से ही कबीर ने उन्हें गाली देना शुरू कर दिया। आरंभ में, कबीर ने आयशा के खाना पकाने के बारे में शिकायत की। एक बार कबीर ने आयशा के चेहरे को उबलते हुए तेल के बर्तन पर रखा, और कहा कि वह उसे खाना पकाने का सही तापमान सिखा रहा है। उसके क्रोध और हिंसा से डरकर, आयशा जल्दी ही कबीर के अधीन हो गई। गर्भावस्था के दौरान, कबीर ने उसे लात मारी, धक्का दिया और उसे मुक्का मारा। कबीर बच्चा नहीं चाहते थे और आयशा पर गर्भपात कराने का दबाव डाला। ऐसा करने के लिए, उसे समझाने के लिए उसने अपने परिवार की मदद ली।

अपने गर्भावस्था के चौथे महीने के दौरान, आयशा ने अपने परिवार के डॉक्टर को बताया कि उनके और कबीर के रिश्ते में कोई समस्या थी। डॉक्टर ने उन्हें मनोचिकित्सक (सकाइअट्रस्ट) के पास भेजा, और उनकी

संयुक्त बैठक के दौरान, मनोचिकित्सक ने सुझाव दिया कि कबीर को अपने क्रोध के मुद्दों के लिए किसी अन्य मनोचिकित्सक से मिलना करना चाहिए। कबीर इस सिफारिश से परेशान हो गए और मनोचिकित्सक के पास जाना बंद कर दिया। उन्होंने आयशा को आगे की नियुक्तियों (अपॉइन्ट्मन्ट) में शामिल होने से रोका और उसका अपमानजनक व्यवहार बढ़ने लगा।

उनके बेटे का जन्म सी-सेक्शन से हुआ था, और आयशा के माता-पिता एक हफ्ते के लिए परिवार की मदद करने आए थे। हालांकि, कबीर ने आयशा की मां का अपमान किया और वह वहां से चली गईं। हालाँकि, वह इस दौरान कुछ सहायता प्राप्त करने में सक्षम थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स ने डिलीवरी के बाद घर पर आयशा की देखभाल की, ने देखा कि आयशा मानसिक स्वास्थ्य व्यवहार का प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने पोस्ट-पार्टुम डिप्रेशन पर संदेह किया और आयशा को भावनात्मक रूप से सहारा दिया।

आयशा से उम्मीद की जा रही थी कि वे घर का सारा काम करें, बच्चे पैदा करें और कबीर के परिवार की सेवा करें। नए बच्चे का रोना कबीर की नींद में बाधा उत्पन्न करता है और उसने आयशा को अपने बेटे के साथ पुल आउट सोफे पर दूसरे कमरे में सोने के लिए कहा। बच्चे के साथ, सिर्फ एक साल की उम्र में, आयशा कई महीनों के लिए अपने माता-पिता के पास चली गई, जबकि कबीर के बहनोई वैवाहिक घर में चले गए।

वर्षों तक कबीर एक सख्त अनुशासनवादी बने रहे, आयशा और उनके बेटे से आदेश और आज्ञाकारिता की मांग करते रहे। अगर बेटे ने तुरंत कबीर के आदेशों का पालन नहीं किया, तो कबीर बच्चे को डांटेंगे, और मारेंगे। बच्चा अपने पिता से डरता था। आयशा हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, या वह पिट जाएगी। कबीर ने एक नई नौकरी शुरू की और परिवार जून 2010 में एक नए घर में चला गया। घर का शीर्षक केवल कबीर के नाम पर था। कबीर अच्छा पैसा कमा रहे थे और एक स्थानीय यूनवर्सिटी में पोस्ट्ग्रैजूइट कोर्स लेने लगे। कबीर ने आयशा को बताया कि उसका काम घर था और इसे साफ और व्यवस्थित करना था; अगर ऐसा नहीं होता, तो उसे पीटा जाता।

जनवरी 2010 में, जब आयशा के चाचा आए, तो उन्होंने कबीर को आयशा और बेटे के लिए अपमानजनक देखा। कबीर अपने जूते से आयशा को मार रहा था और इसने उस बच्चे को डरा दिया जिसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। कबीर आगबबूला हो गया और बच्चे को सोफे पर धक्का दे दिया। जब बच्चे ने फिर से

हस्तक्षेप किया, तो कबीर ने बच्चे को एक वॉशरूम में बंद कर दिया और लाइट बंद कर दी। इससे बच्चा घबरा गया।

आयशा ने कई वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को विकसित करना शुरू कर दिया क्योंकि वह दुर्व्यवहार का सामना करती थी और अनुपचारित रहती थी। यह 2007 और 2010 के बीच हुआ। 2010 में दुर्व्यवहार चरम पर था। कबीर आयशा से कहता था कि अगर उसका परिवार कनाडा में नहीं रहता, तो वह उसे मार देता। वह उसे जान से मारने और फिर खुद को मारने की धमकी देता था। वह उसे चाकू दिखाकर धमकाता था और अन्य बातों के अलावा उसे 'अशिक्षित' और 'बेवकूफ' कहता था। बेटे ने हिंसा को देखा और रोने और अपनी माँ की रक्षा करने की कोशिश की।

अगस्त 2010 में कबीर ने आयशा के माता-पिता को फोन करके आयशा को दूर ले जाने के लिए कहा और कहा कि उसे तब तक वापस नहीं आना चाहिए जब तक वह सुधर न जाए। ' आयशा और उसका बच्चा अपने माता-पिता के साथ रहने लगे और उनके पिता उन्हें पारिवारिक चिकित्सक के पास ले गए, जिन्होंने आयशा को एक आउट पेशेंट मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक में रेफर किया। उन्होंने अक्टूबर 2010 में आउट पेशेंट क्लिनिक के साथ इलाज शुरू किया। आउट पेशेंट क्लिनिक को एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ बैठक के लिए पति के साथ की आवश्यकता थी। कबीर ने कहा कि वह उपस्थित नहीं हो सकते थे इसलिए आउट पेशेंट क्लिनिक ने आयशा के पिता से संपर्क किया और उन्हें अस्पताल लाने का अनुरोध किया। अगले दिन पिता उसे अपॉइन्ट्मन्ट पर ले गए, और वह मनोचिकित्सक से मिली। अपनी चर्चा के दौरान, आयशा ने साझा किया कि वह अपने पति से घबरा गई थी।

उसने डॉक्टर से कहा कि उसे लगा कि उसके पति के पास विशेष शक्तियां हैं और वह उससे डरती है। मनोचिकित्सक ने उसे बताया कि उसका कर्तव्य है (ड्युटी टु रिपोर्ट) कि वह पुलिस और चिल्ड्रन एड सोसाइटी को सुरक्षा चिंताओं की रिपोर्ट करे, अगर वह इन एजेंसियों को खुद रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी।

आयशा ने पुलिस को दुर्व्यवहार की सूचना दी और वे उसे बच्चे के साथ शरण में ले गए। वह एक रात के लिए आश्रय में रही और फिर अपने माता-पिता के घर चली गई। कबीर को गिरफ्तार किया गया और हमला, एक

हथियार के साथ हमला और धमकी देने का आरोप लगाया गया। उसे बिना किसी संपर्क (नो कोन्टैक्ट) के शर्त् में छोड़ दिया गया।

चिल्ड्रन्स एड सोसाइटी को पुलिस के हस्तक्षेप के समय बुलाया गया था और एक सेवन कार्यकर्ता ने रिस्क अस्सेसमेन्ट (जोखिम मूल्यांकन) करने के लिए आयशा के माता-पिता के घर का दौरा किया। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बच्चे के लिए पर्यावरण सुरक्षित रहे, साथ ही आयशा को आवश्यकता पड़ने पर सहायता का प्रस्ताव दिया जाए।

संकल्प

कबीर ने एक अदालत आवेदन शुरू किया जहां उन्होंने बच्चे की हिरासत और पहुंच के लिए कहा। आयशा अपने बच्चे को देखने के लिए कबीर को दी गई पहुंच के साथ अपने बेटे की एकमात्र हिरासत की मांग कर रही है। सेक्शन 30 असेस्मन्ट (चिल्डरेन्स लॉ रिफ़ोर्म एक्ट ओफ़ ओंटारियो (CLRA) के तहत उल्लिखित), और एक मनोवैज्ञानिक (साइकालजिस्ट) ने पिता को एकमात्र हिरासत देने की सिफारिश की थी। जब बच्चे की जरूरतों को पूरा करने और बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए माता-पिता की क्षमता के बारे में मानसिक स्वास्थ्य के आसपास कोई चिंता है, तो अदालत एक सेक्शन 30 असेस्मन्ट का आदेश दे सकती है। आयशा अब अपने मानसिक स्वास्थ्य की अच्छी तरह से देखभाल कर रही है और आयशा द्वारा अपने माता-पिता के सहयोग से बच्चे की देखभाल की जा रही है। जब ये कार्यवाही चल रही थी, कबीर को बच्चे से मिलने के लिए, लेकिन निरीक्षण के साथ मिलने दिया गया था।

आयशा ने असेस्मन्ट को चुनौती दी और एक क्रिटिक रिपोर्ट आयोजित की गई क्योंकि सेक्शन 30 की रिपोर्ट में कबीर के गुस्से के मुद्दों और घरेलू हिंसा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्रिटिक रिपोर्ट बताती है कि आयशा अपने बेटे की कस्टडी बनाए रखती है और बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके चारों ओर कम्यूनिटी ऑफ सपोर्ट एंड अकाउंटिबिलिटी '(C.O.S.A) बनाई जाती है। इस मामले को आखिरकार पैरलेल हिरासत व्यवस्था के माध्यम से सुलझाया गया जहां आयशा को बच्चे के धर्म और स्वास्थ्य के मामलों पर फैसला करना था और पिता ने बच्चे की शिक्षा से संबंधित निर्णय लिए। बच्चा मुख्य रूप से माँ के साथ रहता है और कबीर के साथ उसकी मुलाकात होती है। आयशा को कबीर से स्पॉसल सप्पोर्ट और चाइल्ड सप्पोर्ट मिलता है। वैवाहिक घर बेच दिया गया था, और आयशा को बिक्री का एक हिस्सा मिला।

चर्चा के लिए प्रश्न

1. क्या आप अपने समुदाय में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसने केस स्टडी में महिला के समान स्थिति का अनुभव किया है?

2. आपके समुदाय की महिलाएं परिवार में हिंसा का अनुभव होने पर क्या करती हैं?

3. आप अपने समुदाय में घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिला का समर्थन कैसे कर सकते हैं?

4. क्या आप किसी ऐसी एजेंसी के बारे में जानते हैं जो घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को सेवाएं प्रदान करती है?

5. वह एजेंसी क्या सेवाएं प्रदान करती है?